न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :– आशुतोष कुमावत,
(राज.न्या.सेवा) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन विचारण प्रकरण संख्या :– 81/2017

सी.आई.एस. संख्या :– 1079/2017

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, द्वितीय।

अभियोगी

बनाम

यश जांगिड पुत्र श्री राधाकिशन जांगिड, निवासी–मकान नं. 21, पटेल विहार, नाडी का फाटक, सरकारी स्कूल के पास, थाना मुरलीपुरा, जयपुर।

अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी विकल्प में 306 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :–

1. राज. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश गजराज।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री राकेश शेखावत, श्री अमित अग्रवाल, श्री रितिक सोलंकी, श्री शुभम सैनी।

अपराध की दिनांक	25.11.2015 से 09.10.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	474/17 दिनांक 10.10.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	26.10.2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.05.2022
साक्ष्य शुरू करने की दिनांक	21.06.2022
बयान–मुलजिम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	06.05.2025
दिनांक, जिस दिन से निर्णय रिजर्व रखा गया	23.05.2025
निर्णय की दिनांक	27.05.2025
सजा आदेश की दिनांक, यदि कोई हो तो	––

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर आजाद होने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप लगाया गया है	चाहे बरी कर दिया गया हो या दोषी ठहराया गया हो	सुनाई गई सजा	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान हिरासत में ली गई अवधि
1.	यश जांगिड	12.10.2017	25.11.2017	498ए, 304बी विकल्प में धारा 306	बरी	—	12.10.2017 से 25.11. 2017 तक

<u>निर्णय</u> **दिनांकः.27.05.2025**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Hari Commdt. v/s Union of India (2023 Live Law (sc) 303;2023 Supreme(sc) 359) के अनुक्रम में 'विषय सूची—निर्णय' मय पृष्ठ संख्या निम्नानुसार है :—

S.No.	Subject	Page/s
1	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य	02 से 04
2	प्रकरण में की गई कार्यवाही	04 से 07
3	अवधारणीय बिन्दू	07 से 08
4	पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य	08 से 37
5	पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्क	38 से 40
6	अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय	40 से 65
7	निष्कर्ष	65 से 66
8	आदेश	66 से 67

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.10.2017 को परिवादी बिहारीलाल जांगिड ने थानाधिकारी, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 इस आशय की दर्ज करवाई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किः—

उसकी पुत्री सोनम जांगिड का विवाह यश जांगिड से दिनांक 25.11.2015 को हुआ था। उसके द्वारा हैसियत से बढाकर विवाह किया गया एवं विवाह में लडके वालों की सभी मांगों को पूरी करते हुए दान—दहेज दिया गया। विवाह के बाद से उसकी पुत्री को उसके पति यश जांगिड, सास राजू देवी, ससुर राधाकिशन जांगिड, देवर राहुल जांगिड द्वारा परेशान किया जाने लगा वे कहने लगे कि उसके घरवालों ने घटिया शादी की है, ऐसी शादी तो

नीच जाति के लोगों में की जाती है। ये सभी लोग उसकी पुत्री को अपने पीहर से कार हुण्डई क्रेटा लाने की मांग करने लगे। विवाह के बाद उसकी पुत्री जयपुर आ गई और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसकी पुत्री की हुण्डई में सर्विस लग गई, जिसकी सैलरी भी ये लोग सोनम के साथ मारपीट करके ले लेते थे। सोनम को अपने पीहर से नगद रूपये व देवर राहुल के लिए सोने का ब्रेसलेट लाने की मांग करते थे तथा उन मांगों को पूरा करने के लिए मारपीट करते थे। दिनांक 27.06.2017 को इन चारों ने सोनम के साथ बूरी तरह मारपीट की, जिस पर वह, उसकी पत्नी, छोटी पुत्री पूनम एवं दामाद संदीप दिनांक 28.06.2017 को जयपुर आए एवं सोनम का भी टिकिट करा कर लाये थे किन्तु इन लोगों ने समाज में इज्जत की दुहाई देते हुए अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार करते हुए सोनम को आगे परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया किन्तु उसके बाद पुनः ये लोग दहेज की मांग के लिए परेशान करने लगे एवं सोनम को सर्विस पर पर नहीं जाने दिया, जिससे सोनम की नौकरी चली गई। दिनांक 02.07.2017 को वापिस सोनम के साथ मापीट की जिस पर वह दिनांक 03.07.2017 को जयपुर आया एवं सोनम को मुम्बई ले गया। दिनांक 05.09.2017 को सोनम के ससुर राधाकिशन जांगिड मंम्बई आए और पुनः अपने किए की क्षमा मांगते हुए सोनम को वापिस भेजने के लिए कहा, जिस पर उसने इन्कार कर दिया किन्तु राधाकिशन जांगिड ने आगे से सोनम के साथ मारपीट न करने का और दहेज के लिए परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया एवं ऐसा ना करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों की कसम खाई जिस पर उसने अपनी पुत्री की गृहस्थी को ध्यान में रखकर सोनम को वापिस ससुराल भेज दिया किन्तु वापिस ये लोग उसकी बेटी को परेशान करने लग गये एवं सोनम का फोन अपने पास रख लिया तथा उनसे बातें भी नहीं करते देते थे। दिनांक 08.10.2017 को उसकी पत्नी ने करवा चौथ होने के कारण पुत्री से बात करने के लिए सोनम की सास के फोन पर फोन किया तो उसकी पुत्री ने फोन उठाया एवं वह रोने लग गई तथा उसकी पत्नी को कहा कि ये लोग दहेज के लिए वापिस परेशान कर रहे है एवं इन लोगों ने जबरदस्ती सुसाईड नोट भी लिखवा लिया है, ये लोग कभी भी उसे मार सकते है, जिस पर उसने वापिस उसकी पुत्री को मुम्बई लाने का निर्णय किया। कल उसे सूचना मिली की उसकी पुत्री को इन लोगों ने मारकर पंखे

पर लटका दिया है। उसकी पुत्री को ययश जांगिड, राजू देवी, राधाकिशन, राहुल ने दहेज की मांग के लिए मारपीट व परेशापन कर जबरदस्ती सुसाईड नोट लिखवा कर मार दिया है। आदि आदि

प्रकरण में की गई कार्यवाही :-

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना मुरलीरपुरा, जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 474/2017, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

4. बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 26.10.2017 को अभियुक्त यश जांगिड विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 306 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो कि उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी विकल्प में धारा 306 भा.द.सं. के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित गवाहान/दस्तावेजात पेश कर आरोपित अपराध बाबत् अभियोग प्रस्तुत किया :–

क्र.सं.	साक्षी संख्या	परीक्षा की तिथि	साक्षी का विवरण	साक्ष्य का प्रकार
01.	पी.ड.–01	21.06.2022	सरिता अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी–1/2 की गवाह
02.	पी.ड.–02	26.07.2022	संदीप जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का जीजा
03.	पी.ड.–03	26.07.2022	बिहारीलाल महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का पिता
04.	पी.ड.–04	08.09.2022	राजेन्द्र जांगिड औपचारिक साक्षी	प्रदर्श पी–11 का गवाह
05.	पी.ड.–05	14.07.2023	भींवाराम अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी–11 का गवाह
06	पी.ड.–06	14.07.2023	डॉ.धीरज वर्मा	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक

			चिकित्सकीय साक्षी	
7	पी.ड.–07	14.07.2203	पूनमचन्द औपचारिक साक्षी	फर्द प्रदर्श पी–14 का गवाह
8	पी.ड.–08	29.09.2023	आकाश जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का भाई
9	पी.ड.–09	02.03.2024	जितेन्द्र यादव अनुसंधान साक्षी	फर्द प्रदर्श पी–15 का गवाह
10	पी.ड.–10	31.07.2024	पूनम जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका की बडी बहिन
11	पी.ड.–11	08.08.2024	संजय कुमार अनुसंधान साक्षी	फर्द प्रदर्श पी–1/2 का गवाह
12	पी.ड.–12	08.08.2024	गजानन्द महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का चाचा
13	पी.ड.–13	21.10.2024	पवन कुमार जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका का चाचा/ताउ
14	पी.ड.–14	21.10.2024	अशोक कुमार शर्मा औपचारिक साक्षी	अभियुक्त का पडौसी गवाह
15	पी.ड.–15	19.11.2024	औपचारिक साक्षी	अभियुक्त का पडौसी गवाह
16	पी.ड.–16	19.11.2024	रीना जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका की बहिन
17	पी.ड.–17	17.12.2024	कमला जांगिड महत्वपूर्ण साक्षी	मृतका की माता
18	पी.ड.–18	28.02.2025	डॉ. दिनेश अग्रवाल चिकित्सकीय साक्षी	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक
19	पी.ड.–19	25.03.2025	नवीन खण्डेलवाल अनुसंधान साक्षी	अनुसंधान अधिकारी
20	पी.ड.–20	01.05.2025	आस मोहम्मद अनुसंधान साक्षी	अनुसंधान अधिकारी

21	पी.ड.–21	01.05.2025	डॉ.मोनिका चिकित्सकीय साक्षी	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	फर्द जब्ती एक सुसाईड नोट	प्रदर्श पी–1
2	फर्द जब्ती एक साडी	प्रदर्श पी–2
3	पंचायतनामा	प्रदर्श पी–3
4	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–4
5	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–5
6	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–6
7	रसीद सुपुदर्गी लाश	प्रदर्श पी–7
8	शादी का कार्ड/फोटो पेश करने के संबंध में तहरीर	प्रदर्श पी–8
9	शादी का कार्ड	प्रदर्श पी–9
10	दहेज सामान की सूची	प्रदर्श पी–10/11
11	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–11
12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श पी–12
13	एफएसएल रिपोर्ट	दोनों प्रदर्श पी–13
14	फर्द जब्ती स्त्रीधन	प्रदर्श पी–14
15	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–15
16	पुलिस बयान अशोक कुमार	प्रदर्श पी–16
17	पुलिस बयान मुकेश कुमार शर्मा	प्रदर्श पी–17
18	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला	प्रदर्श पी–18

19	मालखाना रजिस्टर की नकल	प्रदर्श पी–19

8. अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवायेः–

क.सं.	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श**
1	पुलिस बयान संदीप/पुलिस बयान पूनम	दोनों प्रदर्श डी–1
2	संदीप जांगिड का शपथ–पत्र/पुलिस बयान पवन	दोनों प्रदर्श डी–2
3	सुसाईड नोट	प्रदर्श डी–3
4	पुलिस बयान बिहारीलाल/पुलिस बयान रीना	दोनों प्रदर्श डी–4
5	सुसाईड नोट	प्रदर्श डी–6

अवधारणीय बिन्दू :–

9. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(ए) क्या अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका सोनम से दिनांक 25.11.2015 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?

(बी) क्या अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका सोनम से दिनांक 25.11.2015 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व तक मृतका से उपरोक्त वर्णित मांग को दोहराते हुए उसे मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कारित की, जिसके उपरांत मृतका की सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्षों के भीतर फांसी के फंदे पर लटकने से मृत्यु हुई?

विकल्प में

(सी) क्या अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका सोनम से दिनांक

25.11.2015 को विवाह होने के उपरान्त निरन्तर मृतका का पति होते हुए विभिन्न अवसरों पर मृतका को कम दहेज लाने के ताने देकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे मृतका आत्महत्या करने के लिये विवश हुई, जिसकी परिणति में मृतका द्वारा अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गई ?

(डी)यदि हॉ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

पत्रावली पर आई साक्ष्य :–

11- उपरोक्तानुसार वर्णित आरोप के सन्दर्भ में पत्रावली पर अभियोजन की साक्ष्य निम्न हैः–

महत्वपूर्ण साक्षीगण :–

12. हस्तगत प्रकरण का परिवादी/मृतका का पिता बिहारीलाल जांगिड़ गवाह पीड–3 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसके चार लड़कियां और एक लड़का हैं। वह ज्वैलरी बनाने का काम मुम्बई में ईरानिस्ताल एम.जे. रोड, घाट कॉपर वेस्ट में कारीगर के रूप में काम करता है। उसकी बेटी सोनम की शादी के लिए लड़का उसके दोस्त सुरेश शर्मा ने बताया था तथा उन्होंने उसे बताया था कि जयपुर में राधाकिशन है जो जयपुर में लेथ मशीन बनाने का काम करते है और उनका लड़का यश जांगिड है जिसने एम.ए किया हुआ है और फ्लोटन जयपुर में क्रेडिट मैनेजर के रूप में काम करता है, फिर उन्होंने आपस में बात कर सोनम की शादी दिनांक 25.11.2015 को यश जांगिड पुत्र राधाकिशन के साथ अपने गांव गांग्यासर झुंझुंनू जिले में कर दी थी। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल चली गई थी। शादी में फर्नीचर, गहना, मोटरसाइकिल के नकद पैसे और यश के पिताजी के सोने की अंगुठी और यश की माताजी को कानों के टॉप्स और चांदी की पायजेब और अन्य सामान, फ्रीज और अन्य घरेलू सामान दिया था। फिर सोनम की शादी के बाद सोनम अपने पति के साथ मकान नम्बर 21, पटेल विहार, मुरलीपुरा जयपुर में रहे थे। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक चल रहा था और उसकी बेटी पढ़ी–लिखी थी और उसे जॉब करना था। सोनम ने बीएमएम की पढाई कर रखी थी और वह जॉब करना चाहती थी। फिर सोनम ने जॉब के अप्लाई किया था और उसकी हुंडाई में जॉब लग गई थी। जब सोनम जॉब करने लग गई थी और उसे

जॉब के बदले में जो सैलरी मिलती थी वह यश जांगिड उसका पति ले लिया करता था और खर्चे के भी पैसे नहीं दिये करते थे तथा जब सोनम गाड़ी में बैठती थी तो उसका पति यश जांगिड उसे कहता था कि गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपने बाप की लेकर आओ और यदि शॉपिंग करनी है तो पैसे अपने बाप से लो। जब उसकी बेटी यश से खर्चे के पैसे मांगती थी तो यश उसके साथ मारपीट करता था और खर्चे के पैसे नहीं देता था। उसकी बेटी उसकी पत्नी से भी खर्चे के पैसे लेकर आती थी। सोनम को उसके ससुराल वाले कहते थे कि तेरे घर वालों ने घटिया शादी की है और ऐसी शादी तो नीची जाति के लोगों में की जाती है। तू तेरे घर से एक हुंडई क्रेटा, नगद रूपये व देवर राहुल के लिए सोने का ब्रासलेट लेकर आयेगी तो ही तुझे घर में अच्छे से रखेंगे। वे इन लोगों की मांगों की पूर्ति करते रहे किन्तु उनकी मांगे आये दिन बढ़ती रही और सोनम के साथ मारपीट करते रहे। जून, 2017 की बात है। वह और उसकी पत्नी, संदीप और उसकी बेटी पूनम सोनम के घर आये और घर आये यश और उसके घर वालों से बात की कि आप लोग सोनम को क्यों परेशान कर रहे हो और वे लोग कहते थे कि सोनम का कहीं अफेयर चल रहा है और उसके फोन में फोटो है। फिर उस समय उनके परिवार के लोग इकट्ठे हो गये थे और फिर उन लोगों ने उन्हें तसल्ली दी कि ऐसा नहीं होगा और परिवार की इज्जत का सवाल है और फिर वे उसकी बेटी को छोड़कर वापिस बोम्बे चले गये। फिर 4–5 दिन वापिस सोनम के ससुराल वाले वैसे ही हरकते करना चालू कर दिये। वे लोग वापिस सोनम का मोबाईल फोन छीन लिये और उसके साथ मारपीट करते थे और उसको मेंटली टॉर्चर करते थे। फिर वह एक हफ्ते के बाद वापिस जयपुर आया और फिर वह जबरदस्ती उसकी बेटी को लेकर गया। फिर उसकी बेटी उनके पास दो महिने रही, फिर सोनम के ससुर बोम्बे उसकी बेटी को लेने आये और फिर उन्होंने सोनम को भेजने से मना कर दिया था और उसके परिवार ने भी मना कर दिया था, फिर राधाकिशन ने काफी रिक्वेस्ट की और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर सितम्बर, 2017 में सोनम को उसके ससुर राधाकिशन के साथ भेज दिया, फिर इन लोगों ने सोनम का फोन भी ले लिया था और उससे उनकी बात भी नहीं करवाते थे और जब उन्हें बात करनी होती थी तो सोनम की सास के मोबाईल पर फोन करते थे और वो

सोनम से बात नहीं करवाया करती थी। फिर 7–8 दिन बाद करवा चौथ का व्रत था तो उसकी पत्नी ने सोनम से फोन पर बात की तो सोनम फोन उठाकर रोने लगी और फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि सोनम को वापिस बोम्बे लेकर आयेगें, फिर दिनांक 09.10.2017 को उसके पास राधाकिशन का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह बाहर खड़ा है और उनकी बेटी लटकी हुई है और इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उसकी बेटी ने सुसाइड नोट नहीं लिखा है बल्कि उसके ससुराल वालों ने उससे लिखवाया है। सुसाइड नोट की राइटिंग उसकी बेटी की है, फिर दूसरे दिन सुबह वे जयपुर में फ्लाईट से आ गये, फिर जयपुर आने के बाद वह पुलिस थाना मुरलीपुरा गया और वहां एक लिखित रिपोर्ट घटना के संबंध में दी। पुलिस ने उसकी बेटी की लाश का फर्द पंचायतनामा कांवटिया अस्पताल में बनाया था। पुलिस ने उसकी बेटी की लाश को उसे सुपुर्द किया था। दहेज सामान की सूची और शादी का कार्ड और फोटो हेतु सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा उसे एक लेटर दिया गया था। उसने पुलिस को दहेज व सगाई के सामान की सूची दी थी।

13. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसने दहेज के सामान की जो सूची दी है उसके संबंध में विवाह के समय कोई सूची या लिखावट तैयार नहीं हुई थी। जो शादी हुई थी उसमें फोटो खींची थी। लिस्ट में जो सामान बताया है उन सब की फोटाग्रॉफस उसके पास नहीं है और ना ही उसने पुलिस को दी है अजखुदकहा कि कुछ सामान ऑनलाईन भिजवाया था। सामान ऑनलाईन किस माध्यम से भिजवाया था ध्यान नहीं है। सामान शादी से पहले भिजवाया था किस दिनांक को भिजवाया था ध्यान नहीं है और उस संबंध में उसके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। यह बात सही है कि सोनम की शादी में जो सामान दिया था उसके लिए यश जांगिड या उसके पिताजी ने उस पर किसी प्रकार का दवाब नहीं डाला था। उसकी बेटी की इच्छा थी उसकी शादी मुम्बई में हो किन्तु बेटी ने उसे एकदम से जयपुर में शादी करने से मना नहीं किया था फिर उसने उसे समझाया था कि लडका अच्छा है और परिवार अच्छा है इसलिए वह तैयार हो गई थी। यह बात सही है कि शादी के बाद मेरी बेटी के ससुरालवालों से हमारी किसी प्रकार की कोई कहासुनी नहीं हुई थी किन्तु सोनम की मृत्यू से 2–3 महिनें पहले कोई

बात हुई थी तब हम जयपुर आये थे। सर्विस को लेकर उसकी बेटी ने उसे अपने ससुरालवालों की कोई शिकायत नहीं की थी क्योकि शादी से पहले ही यह बात हो गई थी कि वह(सोनम) शादी के बाद सर्विस करेगी। यह बात सही है कि सोनम के सर्विस करने पर सोनम के ससुरालवालों ने कोई आपति नहीं जताई थी। यह बात सही है कि सोनम के ससुरालवालों ने हमें यह बताया था कि उसके मोबाईल में उसके साथी के साथ फोटो और चैट मिली थी जिस शिकायत पर हम जयपुर आये थे। सोनम ने उसे बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है और मेरे साथ ऑफिस में जो काम करते है उनके साथ फोटो और चैट है। उस समय बेटी को हमने समझाया और फिर वह मुम्बई चला गया था अजखुदकहा कि उन लोगों ने उसकी नौकरी छुडवा दी थी और मोबाईल भी ले लिया था। सोनम के पास मोबाईल शादी से पहले का ही था। सोनम ने मोबाईल स्वेच्छा से नहीं छोडा था बल्कि उससे मोबाईल जबरदस्ती छुडवा दिया था। उसने मोबाईल नहीं मांगा था अजखुदकहा कि उसने देखने के लिए चैट मांगे थे। यह बात सही है कि वह, उसकी पत्नि और लडकी और मेरे दामाद दिनांक 28.06.2017 को जयपुर आये थे। उसे गांव में अपनी पत्नि का फोन आया था कि सोनम को बहुत तकलीफ है इसलिए उसे कैसे भी लेकर आना। मेरी बेटी सोनम को घरेलू तकलीफ थी। सोनम मुम्बई में हमारे साथ लगभग 2 महिनें रही थी। यह बात सही है कि इन दो महिनों के दौरान उसने या उसकी बेटी ने यश जांगिड या उसके परिवार के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। यह बात सही है कि शिकायत इसलिए हमने इसलिए नहीं की क्योकि हमारा आपस में किसी प्रकार का लडाई–झगडा नहीं था। यह बात सही है कि हमारे परिवार का आपस में एक वॉटसअप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जुडे हुये है जिसमें पहले सोनम भी जुडी हुई थी जिसे बाद में यश ने निकाल दिया था। दो महिनों की अवधि में सोनम के पास मुम्बई में मोबाईल रहा था। मुझे ध्यान नहीं है कि मुम्बई में रहने के दौरान सोनम फैमिली वॉटसअप ग्रुप से जुडी हुई थी या नहीं। यह बात सही है कि मुम्बई में रहने के दौरान और पूर्व में जब सोनम फैमिली वॉटसअप ग्रुप से जुडी हुई थी तब सोनम के द्वारा यश जांगिड या उसके परिवार के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी। मुम्बई से जयपुर वापिस आने के बाद और सोनम की मृत्यू होने तक की अवधि में मेरी

स्वंय की बेटी से हॉय हैलो होती थी और सोनम की उसकी माताजी से बात होती थी अजखुदकहा कि उसे जो तकलीफ होती थी वह अपनी माताजी को बताती थी और फिर उसकी माताजी उसकी तकलीफ के बारे में मुझे बताती थी। यह बात सही है कि सोनम की जयपुर में नहीं रहने की ही तकलीफ थी और वह जयपुर वापिस ही नहीं आना चाहती थी। यह बात सही है कि हमें सोनम को वापिस जयपुर नहीं भेजना चाहिए था अजखुदकहा कि हम उसे जयपुर भेजना नहीं चाहते थे और वह स्वंय भी जयपुर नहीं आना चाहती थी। यह बात सही है कि हमारे से किसी ने सोनम को वापिस जयपुर लाने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। यह बात सही है कि सोनम के वापिस जयपुर आने के बाद उसे वापिस मुम्बई ले जाने के बारे में हमने नहीं सोचा। यह बात सही है कि सोनम ने हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे हमें उसे वापिस मुम्बई लाने की आवश्यकता होती।

14. वह बच्चियों की राइटिंग पहचानता है किन्तु चारों बेटियों में कौनसी राइटिंग किसकी है यह नहीं पहचानता है। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–02 बयान वहीं पुलिस बयान है जो पुलिस ने उससे लिये थे। यह बात सही है कि पुलिस ने प्रदर्श डी–02 पुलिस बयान पढा दिये थे। गवाह ने सुसाइड नोट की फोटोप्रति देखकर कहा यहीं वह सुसाइड नोट है जो कि उसकी बेटी की राइटिंग में है जो कि मेरी बच्चियों ने मुझे बताया था। असल सुसाईड नोट प्रदर्श डी–03 है। उसके बच्चे ने उसे जो सुसाईड नोट के बारे में बताया था वह यहीं प्रदर्श डी–03 सुसाइड नोट है। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–03 के ए से बी भाग पर मृतका सोनम के हस्ताक्षर है। उसके बच्चों ने सुसाईड नोट को पढा था। यह बात सही है कि सुसाइड नोट में कहीं भी यश जांगिड या उसके परिवार के द्वारा सोनम को परेशान करने की बात नहीं लिखी है अजखुदकहा कि सुसाइड नोट जबरदस्ती बेटी से लिखाया गया था और उसकी बेटी स्ट्रांग थी और ऐसा वह कर ही नहीं सकती थी। उससे सोनम ने यह नहीं कहा था कि सुसाइड नोट जबरदस्ती लिखवाया गया है अजखुदकहा कि ऐसी बात कहीं नहीं जाती है समझी जाती है।

15. यह बात सही है कि यदि उसे इस बात की जानकारी होती कि मेरी बेटी से यश जांगिड या उसके परिवार ने जबरदस्ती कोई सुसाइड नोट लिखवा लिया है तो हम हमारी बेटी को तुरन्त उसके ससुराल से लेकर चले

जाते। उसने सोनम का अकाउंट नहीं देखा और ना ही सैलरी का अंकाउट स्टेटमेट देखा अजखुदकहा कि शादी के बाद जयपुर का नहीं देखा था। उसकी बेटी ने उसे बताया था कि उसे बतौर सैलरी लगभग 30,000/—रूपये मिलते है। उसे यह ध्यान नहीं है कि यश जांगिड सोनम की सैलरी के पैंसे ले लेते है यह बात उसे या उसके परिवार को कब बताई थी अजखुदकहा कि सोनम ने मृत्यू से 8—10 महिने पहले बताया था। सोनम ने यह बात अपनी मम्मी को बताया था और बहिनों को भी बताती थी। उसे उसकी पत्नी ने यह बात बताई थी। उसने इस बात की कोई शिकायत कभी नहीं की। उसने गाडी में नहीं बैठाने की बात को लेकर भी यश जांगिड या उसके परिवार से शिकायत नहीं की थी। यश जांगिड ने सोनम के साथ मारपीट की उसकी तारीख, महिना उसे याद नहीं है। उसे यह याद नहीं है कि इस संबंध में सोनम ने कोई मैसेज या वॉटसअप मैसेज उसके परिवारवालों को किया था या नहीं किन्तु उसे नहीं किया था अजखुदकहा कि फोन पर मेरी लडकियों को सोनम बताती थी। सोनम के साथ जो मारपीट की थी उसकी शिकायत सोनम ने या हमने किसी थाने में नहीं की थी। यह बात सही है कि किसी के अकाउंट के सैलरी उसकी इच्छा के नहीं निकाली जा सकती है अजखुदकहा कि एटीएम से निकाली जा सकती है फिर कहा कि उसका एटीएम कार्ड ही छीन लिया था। सोनम का एटीएम कार्ड यश जांगिड कब छीना था उसे समय, तारीख याद नहीं है। यश जांगिड ने सोनम का एटीएम कार्ड छीन लिया था किसको बताया था मालूम नहीं है किन्तु इस संबंध में अपनी बहनों को बताती थी और अपनी मम्मी को बताती थी।

16. सोनम से कौनसी गाडी मांगी थी उसका नाम ध्यान नहीं है। यश जांगिड ने सोनम से यह कहा था कि गाडी में बैठना है तो अपने बाप से ले आओ। यह बात सही है कि यश जांगिड ने सोनम को उक्त बात कब कही थी उसकी तारीख या समय याद नहीं है। उससे यश जांगिड या उसके माता—पिता के द्वारा दहेज की कोई डिमांड नहीं की गई थी। यह बात सही है कि यश जांगिड या उसके माता—पिता ने उसकी बच्चियों से भी दहेज की डिमांड नहीं की थी। जुन 2017 में उसे बुलाया था उससे पहले ही सोनम की नौकरी छुडवा दी थी। पुलिस बयान डी—04 का ए से बी भाग गलत लिखा हुआ है अजखुदकहा कि सोनम जॉब पर नहीं जाती थी। प्रदर्श डी—04 पुलिस

बयान का सी से डी भाग सही लिखा हुआ है। उसे पुलिस बयान में जो बात फोन कर–करके ऑफिस जाने पर उससे पूछताछ करने की बात लिखवाई है वह गलत लिखवाई है। यह कहना गलत है कि सोनम ने उससे स्वंय को यश जांगिड और उसके परिवार के द्वारा परेशान करने की बात नहीं कही हो। सोनम के परेशान होने के बावजूद उसको मुम्बई लेकर नही गया था और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योकि मेरे पास उस समय समय नहीं था अजखुदकहा कि मुम्बई जाने के बाद फैसला किया था कि उसे (सोनम) को वापिस लेकर आयेंगे। मैं 02.10.2017 को मुम्बई को गया था। उसने सोनम जयपुर से मुम्बई लाने के लिए कोई टिकट बुक नहीं करवाई थी। यह बात सही है कि यदि जरूरत हो तो एक दिन में ही टिकट बुक हो जाती है। यह बात सही है कि सोनम के 08.10.2017 को फोन पर रोने के बावजूद भी हमने जयपुर स्थित अपने रिश्तेदारों को सोनम को मिलने या उसके हालचाल पूछने के लिए जाने के लिए नहीं कहा और ना ही किसी प्रकार की शिकायत करने के लिए कहा अजखुदकहा कि तारीख मुझे याद नहीं है किन्तु उस दिन करवा चौथ थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी–04 का ई से एफ भाग गलत लिखा हुआ है।

17. यह बात सही है कि जब सोनम ने फोन पर यह कहा कि ये लोग मुझे कभी भी मार सकते है किन्तु उसके बावजूद भी जयपुर आने के लिए कोई टिकट बुकिंग नहीं करवाई थी। यह बात सही है कि सोनम को उसके ससुरालवाले मार सकते है इस संबंध में सोनम के द्वारा बताये जाने पर मेरे या मेरे परिवारवालों के द्वारा किसी भी माध्यम से कोई शिकायत किसी भी थाने पर या कोर्ट में दर्ज नहीं करवाई गई थी। यह बात सही है कि सोनम ने सुसाइड कर लिया है यह सूचना उसे यश जांगिड के पिताजी ने दी थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी–04 का जी से एच भाग सही लिखा हुआ है। राहुल जांगिड ने दहेज के लिए मारपीट की और मांग की यह बात पुलिस को नहीं कही थी। एफआईआर प्रदर्श पी–05 उसकी कलमी नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि एफआईआर किसने लिखी है। उसे पता नहीं है कि प्रदर्श पी–05 पर किसने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–05 किसने और कहां और कब लिखी इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह सही है कि उसने प्रदर्श पी–05 पर केवल हस्ताक्षर ही किये थे। उसकी बेटी

को मारकर किसने लटका दिया था यह बात किसने बताई थी उसे नहीं पता अजखुदकहा कि उसे राधाकिशन जी ने बताया था कि आपकी बेटी फांसी लटकी हुई है। उसे यह किसने नहीं बताया कि मेरी बेटी को मारकर लटका दिया गया हो अजखुदकहा कि उसे शक हुआ था कि किसी ने मारकर उसकी बेटी को लटका दिया है। उसने पुलिस को मृतका के ससुरालवालों के द्वारा उसे नौकरी करने से मना किया गया हो इस बारे मे कोई सबूत नहीं दिया था क्योकि यह सारी बातें मौखिक ही थी। मृतका को नौकरी करने के लिए उसके ससुरालवालों ने मना कर दिया था यह बात उसे उसके परिवारवालों ने बताई थी। सोनम बताया करती थी कि यश जांगिड उसके खाते से पूरे पैसे निकाल लेता है। मैंने उक्त बात के बारे में यश से कभी बात नही की और ना ही यश के पिताजी से बात की। मेरी बेटी सोनम के साथ उसके ससुरालवालों ने मारपीट की हो इस बारे में मैंने जयपुर में उसका मेडिकल नहीं करवाया और ना ही उसके मेडिकल के सबंध में कोई दस्तावेज देखा। यह कहना सही है कि उसने अपनी बच्ची को डायरेक्ट कभी पैसा नहीं दिया था।

18. उसे यह आइडिया नही है कि उसकी पत्नी ने सोनम को ऑनलाईन पैसे ट्रांसफर किये थे या नहीं। यह कहना सही है कि उसकी पत्नी ने उसे यह कभी नहीं कहा कि सोनम ने कभी कोई विशिष्ठ रकम मांगी हो और मैंने उसे भिजवाई हो। यह कहना सही है कि सोनम की शादी के बाद उसे कभी कोई दहेज का सामान नहीं दिया था अजखुदकहा कि जब भी वह आती थी तब उसे कपडें वगै. दिया करते थे। यह बात सही है कि शादी के बाद यश और उसके परिवारवालों को शगुन में जो दिया जाता है उसके अलावा अन्य कोई पैसा या सामान नहीं दिया था।

19. सोनम का अफेयर चल रहा था यह बात उसे राधाकिशन जी ने बताई थी। राधाकिशन जी ने जब उसे सोनम के अफेयर के बारे में बताया था तब उसने सोनम से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसके पुलिस बयान में हुंडई क्रियेटा, देवर राहुल के लिए सोने का ब्रेसलेट तथा नकद रूपये लाने की बात सोनम ने उसे नही बताई थी बल्कि सोनम ने उक्त बात अपनी मम्मी और बहिनों को बताई थी इसलिए वह यह नहीं बता सकता है कि उसने यह बात कब बताई थी। यह बात सही है कि शादी के पहले सोनम ज्यादातर मुम्बई ही रही है और केवल घूमने–फिरने के लिए बाहर जाती थी। यह बात

सही है कि दिनांक 29.06.2017 को जब हम जयपुर आये थे तब दहेज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब सोनम दो महिनें मुम्बई में उनके पास रही तब उसने कहीं भी नौकरी करने का प्रयास नहीं किया था। यह बात सही है कि दिनांक 28.06.2017 के पश्चात सोनम ने कभी भी नौकरी की हो इस बारे में उसकी सोनम से कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह बात गलत है कि सोनम शादी को लेकर हमसे दुःखी हो बल्कि उसकी इच्छा नहीं थी और वह मुम्बई में ही शादी करना चाहती थी। यह बात सही है कि शादी से पूर्व सोनम ने उसे मुम्बई से बाहर शादी नहीं करने के लिए मना किया था जिस पर हमने मुम्बई में लडके भी तलाश किये थे किन्तु कोई योग्य वर नही मिला था। यह कहना सही है कि सोनम ने जयपुर में रिश्ता करने के बारे में पहले मना किया था किन्तु बाद में समझाने पर वह जयपुर में शादी के लिए तैयार हो गई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनम ने अपने सुसाइड नोट में दहेज के संबंध में प्रताडित करने के बारे में कोई बात नहीं लिखी अजखुदकहा कि सुसाइड नोट अग्रेंजी में लिखा है और उसे अग्रेंजी नही आती है। उसे नहीं पता कि उसकी बेटी ने सुसाइड के लिए उन्हें उत्तरदायी माना है या नहीं है।

20. गवाह पीड–8 आकाश जांगिड़, जो कि मृतका का भाई है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वे पांच भाई–बहिन है जिनमें सबसे छोटा वह है। उसकी बहिन सोनम की शादी दिनांक 25.11.2015 को यश जांगिड के साथ हुई थी। शादी के बाद थोड़े महिनों तक एकदम हंसी–खुशी रहे थे। उसकी बहिन सोनम को जॉब करना था तो उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर उसकी बहिन की हुंडई जयपुर में जॉब लग गई थी इससे पहले उसने बी.एमएम की पढ़ाई कर चुकी थी, फिर शादी से पहले भी वह मसर्डीज मुम्बई में जॉब कर रही थी, फिर जब वह जयपुर में जॉब करने लगी तो उसे रहन–सहन के लिए टार्चर करने लग गये और उसे ताने मारने लग गये और पूरी जॉब की सैलरी भी ससुराल वाले रख लेते थे और उसे खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देते थे, फिर जॉब करती थी तो वॉट्सअप पर जो कम्यूनिकेशन होता था उस पर भी शक होता था कि इससे क्यों बात करते हो और उससे क्यों बात करते हो और उसे उस चीज को लेकर टार्चर करते थे और उसे जॉब पर भेजना बंद कर दिये थे और उसका मोबाईल भी ले लिया। फिर

27.06.2017 को सोनम ने घर पर मम्मी को फोन किया कि ये लोग उसे बहुत टार्चर कर रहे है और बहुत बड़ी लडाई हुई थी और दिनांक 28.06.2017 को मुम्बई से उसके घर वालों में उसके मम्मी–पापा और उसके जीजाजी, सोनम के ससुराल समझाने आये थे और समझाकर वापिस चले गये थे। फिर पांच दिन बाद 02.07.2017 को वापिस बहिन ने मम्मी को फोन किया कि ये लोग वापिस से उसे टार्चर कर रहे है और 03.07.2017 को उसके पापा बिहारीलाल जयपुर आये और उसकी बहिन को साथ लेकर मुम्बई आ गये। 05.09.2017 को उसकी बहिन के ससुर सोनम को लेने के लिए मुम्बई आये थे और वहां पर उन्होंने वहां पर बहुत सारे प्रॉमिसेज किये थे कि आगे से टार्चर नहीं करेंगे और उसे जॉब पर भी जाने देंगे और खुशी–खुशी रहेंगे लेकिन जैसा इन्होंने कहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोबाईल नहीं होने के कारण उसकी मम्मी उसकी बहिन की सास को फोन करती थी और उसकी सास फिर उसकी मम्मी से बात करवाती थी। उसकी बहिन बताती थी कि ये लोग उसे वापिस से वैसे ही टार्चर कर रहे है। फिर 4–5 दिन बात नहीं होने के बाद 08.10.2017 को उसकी मम्मी ने हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था तब बहिन ने रोते हुये बताया था कि ये लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे है और ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते है। फिर दिनांक 09.10.2017 को उसके पापा को फोन आया कि सोनम ने पंखे से फांसी लगा ली है। उसकी बहिन को दहेज को लेकर, टार्चर करके मारा गया है। पुलिस ने उसकी बहिन मृतका सोनम जांगिड की लाश का पंचायतनामा अस्पताल में बनाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका सोनम के ससुराल का बनाया था।

21. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी बहिन ने कभी ग्रुप में अपने ससुराल की शिकायत की या नहीं। यह कहना सही है कि उसने स्वयं ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं पढी। यह कहना सही है कि उसकी बहिन जयपुर में शादी होने से खुश नहीं थी। यह कहना सही है कि उससे व्यक्तिगत तौर पर उसकी बहिन की ससुराल के बारे में कोई बाचतीत नहीं हुई। यह कहना सही है कि उसकी बहिन को ससुराल वालों द्वारा टार्चर करने और उसकी बहिन के द्वारा इस संबंध में परिवार के सदस्यों को बताने आदि की बातें उसने अपने मम्मी–पापा

के कहे अनुसार बतायी है। उसकी बहिन को ससुराल वालों द्वारा पूरी सैलेरी रख लने और उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देने की बात उसे मम्मी–पापा ने कब बतायी थी इसका उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि दिनांक 28.06.2017 को जयचपुर में क्या बात हुई उसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि दिनांक 05.09.2017 से 08.10.2017 के बीच में उसने अपनी बहिन से कोई बातचीत नहीं की। उसकी बहिन को दहेज लेकर टॉर्चर करके मारा गया है यह बात उसके घरवालां ने बतायी है, किसने व कब बतायी, यह उसकी जानकारी में नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि सुसाईड नोट में बहिन के द्वारा जबरदस्ती शादी जयपुर में करने के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी हो। यह कहना सही है कि उसकी बहिन उसके मम्मी–पापा से जयपुर में शादी करने के कारण नाराज थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मम्मी–पापा ने सोनम को अपने ससुराल छोडकर मुम्बई रहने के बजाय जयपुर में रहने को बाध्य किया हो।

22. गवाह पीड–10 मृतका की बड़ी बहिन पूनम जांगिड़ ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि सोनम उसकी छोटी बहन थी, जिसकी शादी यश जांगिड़ से दिनांक 25.11.2015 को हुई थी, शादी के बाद से ही उसको उसका पति दहेज में कम सामान और गाड़ी नहीं लाने के कारण ताने मारना तथा परेशान लग गया था। उक्त बातें उसकी बहन सोनम ने उसे फोन पर बतायी थी। सोनम जब उसकी मम्मी के पास मुम्बई आयी थी, तब भी उसे उक्त बातें बता रही थी। सोनम को उसके पति यश जांगिड़, उसकी सास राजू देवी और उसके ससुर राधकृष्ण जांगिड़ तथा उसका देवर राहुल जांगिड़ उसे बहुत पेशान करते थे, बात–बात पर वह लोग उस पर शक करते थे और उसकी नौकरी भी छुडवा दी थी। जब वह ऑफिस जाती थी, तब उसके साथ घर का कोई सदस्य जाता था, उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। अगर वह अपने देवर से भी बात करती थी, तो उसक पति उस पर शक करता था। विवाह के समय छः सोने की चैन और ब्रेस्लेट देवर को नहीं देने की वजह से उसे परेशान करते थे। घर पर उसे घूंघूट में ही रहना पड़ता था। सुबह वह सारा घर का सारा काम करके ऑफिस जाती थी। वे लोग उसके साथ मारपीट करते थे।

23. उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करती है

कि यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में मुख्य परीक्षण का भाग ''सोनम को उसका पति यश जांगीड़............उसके साथ मारपीट करते थे'' अंकित नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है कि शादी से पहले कोई मांग की थी अथवा नहीं। अज खुद कहा कि ये बड़ों की बात है, उसके ध्यान में नहीं है, यह जरूर कहा कि शादी बहुत ग्रांड तरीके से होनी चाहिए। शादी ग्रांड तरीके से होनी चाहिए, ये बात उसने परिवार वालों से सुनी थी, किससे सुनी थी, यह उसे याद नहीं है। यह बात उसने शादी से पहले सुनी थी। इस बात को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति की बात मेरे सामने नहीं हुई थी। शादी में हमारे हिसाब से सब ग्रांड ही किया था, जो नॉर्मल शादी थी। अज खुद कहा कि उनके हिसाब से शादी नॉर्मल थी, हमारे हिसाब से ग्रांड की थी। शादी में ग्रांड हमनें जो किया था, उसमें प्रॉपर टैण्ट लगाया था, हमारी शादियो में जो नहीं किया था वह सोनम की शादी में किया था। यह कहना सही है कि उसने ऐसी कोई शादी नहीं देखी जो बिना टैण्ट के हुई हो। अज खुद कहा कि नॉर्मल टैण्ट से थोडा हैवी वाला लगाया था। ग्रुप में उसकी बहन ने अपने ससुराल वालों की शिकायत की हो, ऐसा कोई सबूत पुलिस वालों को दिया अथवा नहीं, उसे ध्यान नहीं है। उसे याद नहीं है कि इस ग्रुप में उसकी बहिन ने ऐसी कोई फोटो भेजी अथवा नहीं जिसमें उसके साथ मारपीट की हो। यह कहना सही है कि उसकी बहन इस शादी से खुश नहीं थी, परन्तु वह शादी निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह कहना सही है कि सोनम के साथ किसी प्रकार की मारपीट करते थे, इस बाबत् किसी प्रकार की पुलिस को कोई शिकायत नहीं की थी। यह कहना सही है कि उसकी बहन परेशान रहती हो तथा उसके साथ मारपीट होती हो, इसलिए उसे उसके ससुराल वालों से अलग रखने या मुम्बई में रखने के बारे में हमनें नहीं सोचा था। यह कहना सही है कि मुख्य परीक्षण में सोनम के द्वारा ससुराल वालों की शिकायत करने के संबंध में जो फोन पर बात हुई थी, वह कब हुई थी, याद नहीं है।

24. यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–3 उसकी बहिन की लिखावट है। प्रदर्श डी–3 पुलिस वालों ने दिया था, उसने तब पढ़ा था। यह कहना सही है कि सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 में उसकी बहन ने ससुराल वालों पर कोई आरोप नहीं लगाया। यह कहना गलत है कि मेरी बहन ने मेरे माता–पिता पर

आरोप लगाया हो कि उन्होनें उसकी शादी गलत कर दी हो। उसे याद नहीं है कि सुसाईड नोट में यह बात लिखी हुई है अथवा नहीं कि ''मेरे मम्मी–पापा ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी इच्छा के विरूद्ध मेरी शादी कर दी हो।'' यह कहना गलत है कि वे लोग जयपुर इसलिए आए हो कि बहन के ससुराल वालों ने कहा हो कि ये फोन पर बहुत लड़को से बात करती हो, इसलिए आप इसे समझाओ। मेरी बहन नौकरी जाती थी तब पहले साड़ी पहनकर जाती थी फिर बाद सलवार कमीज पहनकर जाती थी क्योंकि उसके ऑफिस वालों ने बोला था कि साड़ी में अलाउड नहीं था। यह बात उसकी बहन ने फोन पर बतायी थी। मेरी बहन ऑफिस जाती थी तब अकेले नहीं जाती थी, उसे परिवार में से कोई पिक और ड्रॉप करता था। यह कहना सही है कि जब भी मेरी बहन ऑफिस जाती थी तब उसके ससुराल वालें उसे नियमित रूप से पिक और ड्रॉप करती थी। यह कहना सही है कि मेरी बहन ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि उसे पिक और ड्रॉप करने में कोई लापरवाही बरती हो। देवर को ब्रेसलेट देने की बात सोनम ने बतायी थी। सोनम ने यह बात किसी और बतायी अथवा नहीं, मुझे पता नहीं है। सोनम ने शादी के शुरू में 1–2 माह में उसके देवर से बात की थी तब उससे ससुराल वालों ने शक किया था। यह कहना सही है कि हमनें इस बात की शिकायत कही भी या अपने परिचितों को भी नहीं की थी। उसे नहीं पता कि सोनम के ससुराल वालों को सोनम की नौकरी को लेकर कोई परेशानी थी अथवा नहीं। यह कहना सही है कि सोनम के पति ने उसे कम दहेज लाने का ताना कब–कब मारा, उसकी तारीख महीना याद नहीं है। सोनम को उससे ससुर और देवर कब–कब परेशान करते थे, उसकी तारीख और महीना उसे नहीं है।

25. शुरू में विवाह के समय सोने की चैन और ब्रेसलेट को लेकर परेशान किया था। यह कहना गलत है कि शादी में सोने की चैन नहीं दी हो, हमनें यश को दी थी, मृतका के देवर को नहीं दी थी। यह कहना सही है कि सोनम जब जयपुर से मुम्बई जाती थी या मुम्बई से जयपुर आती थी तब मुम्बई से लेने के लिए उसके ससुराल वालें आते थे, छोड़ने के लिए आते थे अथवा नहीं, वह नहीं बता सकती। उसे याद नहीं है कि सोनम शादी के बाद कभी अकेले मुम्बई गई थी अथवा नही। यह कहना गलत है कि सोनम के साथ कभी किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई हो, सोनम मुम्बई रहना चाहती

थी, जयपुर नहीं रहना चाहती थी, मुम्बई में ही शादी करना चाहती थी, उसके माता–पिता ने उसकी जबरदस्ती जयपुर में शादी कर दी हो, तथा और बहनों की शादी मुम्बई में हुई हो, इस कारण वह परेशान रहती हो।

26. गवाह पीड–2 मृतका के जीजा संदीप जांगिड़ ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह शेयर बाजार वॉलफोर्ट फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में जॉब करता है। उसकी शादी बिहारीलाल की सबसे बड़ी बेटी रीना जांगिड के साथ हुई थी। पूनम, सोनम और प्रिंयका की शादी हो चुकी है। सोनम की शादी यश जांगिड के साथ 25.11.2015 को हुई थी। शादी में एक बाईक के लिए पैसा दिया था और सोने–चांदी का सामान, कछोले में पैसे और लड़की को सोने का पूरा सामान और बर्तन और लड़के के माता–पिता को सोने का सामान और फर्नीचर का सामान जो कि बोम्बे में बुक किया था जो कि पूरा यहीं भिजवाया था। सोनम की शादी के बाद मकान नम्बर 21, मुरलीपुरा में दोनों रहते थे। शादी के बाद थोड़े दिन तो सही चला। सोनम ने बीएमएम किया हुआ है। सोनम की मुम्बई में मर्सिडीज में जॉब थी और यहां हुडंई में जॉब ज्वाईन कर लिया था। सोनम की सैलरी यश जांगिड खुद ही रख लेता था और उसे उसके खर्च के लिए लिमिटेड पैसा देते थे और कहते थे कि पैसा तेरे किस काम। यश जांगिड ने उसके साथ मारपीटाई की थी यह बात उसे सोनम ने बताई थी। दिनांक 27.06.2017 को सोनम का फोन आया और उसने बताया कि उसके साथ यहां गलत हो रहा है और उन्होंने 28.06.2017 के टिकट बुक की और 28.06.2017 की सुबह को वह, उसके ससुर, सास और पूनम यहां आये थे, फिर यहां आने के बाद उन्होंने बात की और फिर उन्होंने बताया कि उनकी लड़की मानती नहीं है और सोनम को उसके ससुराल वाले जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे थे और उसके साथ मारपीटाई की और उसका मोबाईल भी ले लिया था और उसका काम पर भी जाना बंद करवा दिया था, फिर वे लोगों ने बात की कि मुम्बई में भी इसकी जॉब थी और यह वहां भी काम कर रही थी और उक्त बात के बारे में सगाई के समय भी बता दिया था और कहा था के शादी के बाद भी यह जॉब कन्टिन्यू करेगी। फिर इन लोगों ने अपनी गलती मान ली और कहा कि सोनम जॉब कन्टिन्यू कर लेगी और उन्होंने सोनम को कहा कि यदि कोई बात होती है तो फिर बताना और सोनम के पिताजी यहीं अपने गांव गांग्यासर,

जिला झुन्झूनू में रूक गये थे और वे लोग उसकी सास, उसकी साली पूनम वापिस मुम्बई चले गये थे। उसके कुछ दिनों के बाद दिनांक 02.07.2017 को सोनम का उनके पास फोन पिताजी के पास आया और उसने बताया कि ये लोग उसके साथ मारपीटाई कर रहे है और यश उसके साथ मारपीट कर रहा है आप उसे मुम्बई लेकर जाओ। फिर दिनांक 03.07.2017 को उसके ससुर उसे लेने आये और उसे मुम्बई लेकर गये। फिर दिनांक 05.09.2017 को यश के पिताजी मुम्बई आये थे और कहा कि समाज में उनका नाम खराब हो रहा है और ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी जो भी हुआ है ऐसा आश्वासन यश के पिताजी के द्वारा दिया गया था, फिर सोनम अपने ससुर के साथ वापिस जयपुर आ गई। सोनम के जयपुर आने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे फोन नहीं दिया और उन्हें भी सम्पर्क करने के लिए उसकी सास वगै. को फोन करना पड़ता था। फिर दिनांक 08.10.2017 को उसकी सास ने सोनम को करवाचौथ के दिन उसके हालचाल पूछने के लिए फोन किया तो सोनम ने बताया कि वह दुःखी है और उसे परेशान किया जा रहा है। फिर दिनांक 09.10.2017 को सोनम के घर से उसके ससुर के पास फोन आया और उन्होंने बताया कि सोनम पंखे पर लटकी हुई मिली है, फिर उसके ससुर ने उसे फोन किया और उस समय वह उसके ऑफिस में था और फिर अगले दिन सुबह की फ्लाईट बुक करके वह, उसकी सास, उसकी पत्नि रीना, उसकी सास और पूनम और उसके पति कैलाश और उसके बड़े ससुर के बेटे विजय जांगिड और चाचा ससुर और चाची सास ये लोग सब जयपुर आ गये थे। सोनम को दहेज के लिए उसका पति यश जांगिड, सास राजू देवी और देवर राहुल जांगिड परेशान करते थे और इन सबसे तंग–परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका उसकी साली सोनम जांगिड की लाश का फर्द पंचायतनामा कांवटिया अस्पताल में बनाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने बनाया था।

27. उक्त गवाह दौराने जिरह कथन करता है कि वॉटसअप पर उनके परिवार का ग्रुप बना हुआ था जिसमें सोनम के द्वारा त्यौहार वगैरहा के मैसेज भी भेजे जाते थे। वॉटसग्रुप पहले से ही बना हुआ था किन्तु सोनम की शादी के बाद यश जांगिड को भी जोड लिया। यह कहना सही है कि सोनम ने मैसेज से परिवार के वॉटसअप ग्रुप पर अपने ससुराल के संबंध में अपनी शादी

से लेकर मृत्यू होने तक ससुरालवालों के द्वारा सताये जाने बाबत् मैसेज नही भेजा था अजखुदकहा कि 27 जुन 2017 को सोनम का फोन छीन लिया गया था और उसकी मृत्यू तक उसे फोन नहीं दिया गया इसलिए वह वॉटसअप ग्रुप पर कैसे लिखेगी और इसके बाद उसने उसे बताया कि यश जांगिड ने मारपीट की है और बहुत परेशान कर रहा है और प्लीज आप तुरंत आकर मुझे ले जाओ। दिनांक 27.06.2017 को सोनम ने मारपीट वाली बात उसकी सास को बताई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान उसे पुलिस ने पढकर सुना दिये थे। यह कहना सही है कि उसने पुलिस को यह नहीं बोला कि जो बयान लिखे है वह गलत लिखे है। यह बात सही है कि उसने पुलिस को ऐसा भी कोई ऐतराज नहीं किया कि उसने जो बात बताई है वह पूरी नहीं लिखी अजखुदकहा कि उसने पुलिस को पूरे बयान लिखवा दिये थे। उसने प्रदर्श डी–02 में जांच अधिकारी के द्वारा जबरन डरा–धमकाकर मुझसे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया है वह कागज प्रदर्श डी–01 था। गवाह ने पत्रावली को देखकर कहा कि ओर कोई कागज पत्रावली पर नहीं है जिस पर पुलिस ने मुझे डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये थे। मैं पढालिखा हूं और सी.ए कर रखा है। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–01 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है अजखुदकहा कि मेरे पुलिस ने दूसरे स्टेटमेंट लिये थे जिन पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। यह सही है कि उस स्टेटमेंट में मैंने सारी बातें बता दी थी और उसे पूर्णतया पढकर , सुनकर और समझकर मैंने हस्ताक्षर किये थे। यह बात सही है कि पुलिस ने मेरे जिस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करवाये थे वह खाली नहीं था अजखुदकहा कि पुलिस ने खाली कागज पर भी हस्ताक्षर करवाये थे।

28. गवाह पीड–12 मृतका के चाचा गजानन्द ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वे तीन भाई व तीन बहनें है। उसके भाई बिहारी लाल के चार लड़किया और एक लड़का है। सोनम की शादी दिनांक 25.11.2015 को यश जांगिड़ के साथ की थी। शादी के बाद सोनम जयपुर में अपने ससुराल मुरलीपुरा में अपने पति के साथ रहने लग गयी। शादी के दो–चार माह तक सही रखा उसके बाद सोनम को परेशान करने लग गये। उसका देवर जिसका नाम राहुल, उसकी सास और उसका पति यश जांगिड़ उसे परेशान करते थे। वे लोग सोनम को उसके मोबाईल से बात करने नहीं देते

थे तथा कभी जब भी कोई फोन उसके पास आता था तो उसके पीछे–पीछे उसकी सास आ जाती थी। जब सोनम नौकरी करने लग गयी तब उसे दिन में दो–चार बार जब भी फोन करते थे तो कहती थी कि लेडलाईन पर फोन करो। ऐसे परेशान करते–करते सोनम खत्म हो गयी। उसे वह लोग टार्चर करते थे और मरने हेतु उसे उन्होंने मजबूर कर दिया। उसके भाई ने उसे बताया कि सोनम खत्म हो गयी जिस पर वह जयपुर में आया और अस्पताल गया। पुलिस ने मृतका सोनम की लाश का फर्द पंचायतनाम बनाया था। उसने मृतका सोनम की लाश को देखा था, उसके गले पर निशान था।

29. उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि वह राधाकिशन जी को 35 साल से जानता है, यह हमारे पहले से रिश्तेदार है। बिहारी लाल जी उसके सगे भाई है, जो मेरे सगे छोटे भाई है। यह कहना गलत है कि शादी से पूर्व से मेरा परिचय राधाकिशन से हो। राधाकिशन जी ट्रक रिपेयर का काम करते है। वह राधाकिशन जी के घर पर दो बार गया था। शादी से पहले नही गया, शादी के बाद एक बार गया था। सोनम से अन्तिम बार बातचीत कब हुई थी, यह उसे याद नही है। यह कहना सही है कि सोनम से उसकी फोन पर कभी बातचीत नही हुई थी। शादी के बाद मैं कभी सोनम के ससुराल गया हूँ, इस बाबत् पुलिस को कोई दस्तावेज नही दिये एवं ना ही उसके पास है। यह उसे याद नही है कि उसने अपने पुलिस बयान मे यह बात पुलिस को बतायी थी या नही कि सोनम के देवर ने सोनम को परेशान किया था और सोनम की सास उसे परेशान करती थी। यह कहना सही है कि सोनम शादी के बाद से ही हुण्डई कम्पनी मे नौकरी कर रही थी। यह कहना सही है कि सोनम की शादी की बात चली तब मेरे भाई बिहारी लाल ने सोनम के ससुराल के परिवार के बाबत् पूछताछ की थी। सोनम लेडलाईन की बात से टार्चर हुई या नही उसे नहीं पता। सोनम को बात–बात पर टार्चर करते थे, वह यह नही बता सकता कि कौन–कौन सी बात पर टार्चर करते थे। उसने सुसाईड नोट नहीं पढा था, क्योंकि वह पढा–लिखा नही है। उसे सोनम के परिवार वालों ने सुसाईड नोट में क्या लिखा था, यह बात बतायी होगी। यह कहना गलत है कि सुसाईड़ नोट पर सोनम ने जयपुर मे जबरदस्ती शादी करने की बात को लेकर परेशान होने बाबत् लिखा हो और इसी बात को लेकर आत्महत्या की हो। वह मुम्बई कभी

गया ही नही। इसलिए वह सोनम से कभी मुम्बई में नही मिला। यह कहना गलत है कि शादी के बाद सोनम से जयपुर मे नहीं मिला हो, बल्कि दो बार मिला था। यह कहना सही है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षण मे "उसका देवर..............से मजबूर कर दिया" वाली बात उसके भाई व उसके परिवार वालों के बताये अनुसार लिखाई है।

30. गवाह पीड–13 मृतका का चाचा/ताऊ पवन कुमार जांगिड़ ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि सोनम उसकी भतीजी थी। सोनम की शादी यश जांगिड़ के साथ वर्ष 2015 में की थी। शादी के बाद सोनम यश व उसके परिवार के साथ जयपुर में रहने लग गई, फिर शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक था। सोनम पढ़ी–लिखी लड़की थी, नौकरी करना चाहती थी, परंतु यश जांगिड़ व उसके परिवार उसे नौकरी नहीं करने देते थे तथा मनचाहे कपड़े नहीं पहनने देते थे। सोनम को उसका पति, सास–ससुर, देवर परेशान करते थे। उससे सोनम परेशान हो गई, मानसिक तनाव में आ गई तथा सोनम ने आत्महत्या कर ली, उसे इतना ही मालूम है और कुछ पता नहीं है।

31. उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि वह मुम्बई में 30–32 सालों से रह रहा है। बिहारीलाल मुम्बई में उसके भी पहले से रह रहे है। यह कहना सही है कि इनकी सभी बच्चियां भी शुरू से मुम्बई में ही रही है। सोनम की शादी जयपुर में उसके घर वालों ने की थी, शादी उसकी मर्जी से ही की होगी। मैंने इस बात के बारे में सोनम से कभी बात नहीं की। उसके व बिहारीलाल के मकान की दूरी ज्यादा नहीं है, पैदल जाने पर 05 मिनट का समय लगता है। वह सोने–चांदी व नगीनों का करता है। बिहारीलाल केवल सोने का काम करते हैं। यह कहना सही है कि हम दोनों के काम अलग–अलग है। बिहारीलाल के चार लड़कियां व एक लड़का थे। सोनम तीसरे नंबर की लड़की थी। यह कहना सही है कि सोनम की दो बड़ी बहने शादी के बाद से मुम्बई में रह रही है। अजखुद कहा कि शादी गांव में ही की थी। यह कहना सही है कि दोनों बड़ी बहने शादी के बाद कभी गांव में नहीं रही। बिहारीलाल की सबसे छोटी बेटी का नाम प्रियंका है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान हुए थे। मेरे पुलिस बयान हाथ से ही लिखे थे। मेरे पुलिस बयान हॉस्पिटल में हुए थे। आज उसे याद नहीं है कि

प्रियंका की शादी सोनम की मृत्यु के कितने साल बाद हुई थी। अजखुद कहा कि शादी बाद में हुई थी, शायद 2–3 साल बाद हुई थी। यह कहना सही है कि प्रियंका की शादी में सोनम उससे नहीं मिली, क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी। यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 का 'ए' से 'बी' भाग गलत लिखा हुआ है। सोनम मुझे आखिरी बात सरदार शहर में मेरी भानजी की शादी में दिसम्बर, 2016 में मिली थी। शादी में सोनम के ससुराल से कौन था, उसे पता नहीं है, मैं तो अकेले ही मिला था। यह कहना सही है कि मैंने नहीं पूछा था कि तुम्हारे ससुराल से और कौन आया है। यह कहना सही है कि मैं सोनम की शादी के बाद इसके ससुराल वालों से कभी नहीं मिला। मेरी फोन पर सोनम से कभी बातचीत नहीं होती थी। सोनम शादी के बाद उससे कभी नहीं मिली, केवल सरदार शहर में मिली थी। मेरी सोनम से उस समय 5–10 मिनट बात हुई थी। मुझे इस बात की जानकारी है कि सोनम सुसाईड नोट लिखकर गई थी, सुसाईड नोट अंग्रेजी में था, क्या लिखा था, मुझे पता नहीं है, मुरलीपुरा थाने पर ही पढ़ रहे थे, सोनम की बहनों ने पढ़ा था। सोनम की सभी बहनों को अंग्रेजी आती है, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी है। मैंने सोनम की बहनों से कभी नहीं पूछा कि सोनम ने सुसाईड नोट में क्या लिखा था। मेरे को सोनम ने नहीं बताया कि कौनसा कपड़ा नहीं पहनने देते थे तथा ना ही मैंने पूछा। अजखुद कहा कि मनचाहा कपड़ा नहीं पहनने देते थे। यह कहना सही है कि मैंने सोनम को नहीं पूछा तथा ना ही उसने बताया कि उसे कौन व्यक्ति ने तथा किस दिनांक को कौनसा कपड़ा पहनने से मना किया। मुझे पता है कि सोनम जयपुर में नौकरी करती थी। अजखुद कहा कि मैंने सुना था कि वह नौकरी करती थी तथा बाद में छुड़वा दी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि नौकरी छोड़ने वाली बात उसे किसने बतायी थी तथा कब बतायी थी। मुझे यह पता है कि सोनम ने नौकरी स्वयं ने नहीं छोड़ी, उससे नौकरी छुड़वायी थी। यह कहना सही है कि मैंने बिहारीलाल से सोनम के ससुराल वालों द्वारा मनचाहे कपड़े नहीं पहनने देने तथा नौकरी छुड़वा देने वाली बात के बाबत् कोई बात नहीं की थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनम यह बात लिखकर गई हो कि उसके पीहर वालों ने उसकी जबरदस्ती जयपुर शादी कर दी हो जिस कारण वह परेशान करती हो। यह कहना सही है कि अपने संस्कारों में जब बच्ची की शादी हो जाती है तो उसे नॉर्मल

कपड़ों से अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। आज मुझे याद नहीं है कि मैं शादी में मिला तब सोनम ने क्या पहन रखा था। भानजी की शादी में मैं एक ही रात को रहा था, शायद रात को ही वापस आ गया था, शायद सुबह आया होगा। आज मुझे याद नहीं है कि मैं सोनम से मिला तब और कौन–कौन था। किसी को कपड़े अपनी पसंद के नहीं पहनने दे और उसने आत्महत्या कर ली हो, ऐसा उदाहरण मैंने नहीं सुना। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनम को उसके पति, सास–ससुर ने किस दिनांक को क्या कहकर, किस प्रकार से परेशान किया। यह कहना सही है कि उसने शादी के बाद और सोनम की मृत्यु के बीच की अवधि में मैंने सोनम से कभी उसके ससुराल वालों के साथ संबंध के बाबत् पुनः बातचीत नहीं की। यह कहना सही है कि मैंने अपने भाई–भाभी या परिवार के सदस्यों से इस बारे में बातचीत की। यह कहना गलत है कि सोनम को उसके ससुराल वालों ने परेशान किया इस बारे में सोनम ने मुझे कभी नहीं बताया हो और मैं अपने भाई के बताये अनुसार ही बता रहा हूं।

32. गवाह पी.ड.16 मृतका की बहिन रीना जांगिड़ ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वे पांच भाई–बहन है। सोनम उसकी तीरे नंबर की बहन थी। सोनम की शादी 25.11.2015 को यश जांगिड़ के साथ हुई थी। सोनम की शादी अच्छे से धूमधाम से जयपुर में ही की थी। शादी के बाद सोनम जयपुर रहने लग गई थी। शुरूआत में सब ठीक ही था, बाद में धीरे–धीरे पता चला कि परिवार काफी रेस्ट्रिक्टेड थी। वे सब बहने काम करती है तथा सोनम भी काम करने ही वाली थी, यश को पता था। शुरूआत में यश ने मना किया परंतु सोनम ने कहा तो यश ने उसे अलाउ किया, परंतु उसमें भी पाबंदी थी कि वह सलवार सूट नहीं पहनेगी, साड़ी में ही जायेगी, पिक और ड्राप वहीं करेंगे, बाद में जॉब में भी यश को दिक्कत होने लगी और जॉब भी छुड़वा दी। यश के बारे में उन्हें बताया था कि वह 40 हजार रूपये कमाता था, परंतु वह 20 हजार रूपये ही कमाता था। सोनम की सास उससे काफी नाखुश थी। सोनम घर का जो भी काम करती थी उसमें उसकी सास कमी निकालती थी, जैसे उनके घर की ऑपनिग थी जब सोनम की सास को कान के तथा ससुर को अंगूठी दी थी, परंतु उन्होंने कहा कि ढ़ग की साड़ी नहीं दी। आये दिन कोई भी त्यौहार होता तो उनकी मांग होती थी यह

चाहिए, वो चाहिए, परंतु इन सभी बातों पर यश का सोनम को कोई सपोर्ट नहीं था। सोनम को उसके देवर ने भी काफी ताने दिये। लास्ट में सोनम का मोबाईल भी ले लिया था। सोनम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी, घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकती थी। सोनम दहेज, तंग–परेशान करने तथा मोबाईल लेने से पहले मारपीट होने के कारण फांसी खाकर मर गई थी।

33. उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि यह कहना सही है कि हम चारों बहनों की परवरिश मुम्बई में हुई है। यह कहना भी सही है कि सोनम भी बचपन से शादी तक मुम्बई में ही पढ़ी–लिखी थी। यह कहना गलत है कि सोनम शादी के बाद मुम्बई रहना चाहती हो। यह कहना भी गलत है कि सोनम अपनी शादी मुम्बई में करवाना चाहती हो। यह कहना सही है कि हम तीनों बहिने शादी के बाद से ही मुम्बई और इसके आस–पास ही रहती है। यह कहना सही है कि मेरी बहिन ने जो सुसाईड नोट लिखा था, वो उसने पढ़ा था। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–3 में सोनम के ससुराल वालों के द्वारा परेशान करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी–3 में उसकी बहिन को उसके ससुराल वालों के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड करने वाली बात नहीं लिखी हो बल्कि वह 'ए' से 'बी' भाग में लिखी है। यह सही है कि हम सभी बहीनों ने मिलकर सोनम की शादी के पहले से ही एक वाट्सअप ग्रुप बना रखा था। यह कहना सही है कि इस ग्रुप में उनकी लगातार बातचीत होती रहती थी। यह कहना सही है कि उनके वाट्सअप ग्रुप में ससुराल द्वारा परेशान किये जाने की बात कभी नहीं कही, अजखुद कहा कि वाट्सअप ग्रुप में कुछ–कुछ बातें बतायी थी, बाकि फोन पर बातें होती थी, क्योंकि यश फोन चेक करता था। मुझे याद नहीं है कि कुछ–कुछ बातों के संदर्भ में पुलिस को बतायी या नहीं। सोनम ने सास–ससुर, यश व देवर के बारे में बातें बतायी थी। वाट्सअप ग्रुप पर जो बातचीत हुई उसके बारे में उसके पति से पूछकर ही बता सकती हूं कि उक्त बातचीत पेश कर सकती हूं कि नहीं। मैंने मुख्य परीक्षण में ''परंतु उसमें भी पाबंदी थी कि वह सलवार सूट नहीं पहनेगी, साड़ी में ही जायेगी, पिक और ड्राप वहीं करेंगे। सोनम की सास उससे काफी नाखूश थी। सोनम घर का जो भी काम करती थी उसमें उसकी सास कमी

निकालती थी, जैसे हमारे घर की ऑपनिंग थी जब सोनम की सास को कान के तथा ससुर को अंगूठी दी थी, परंतु उन्होंने कहा कि ढ़ग की साड़ी नहीं दी। आये दिन कोई भी त्यौहार होता तो उनकी मांग होती थी यह चाहिए, वो चाहिए। परंतु इन सभी बातों पर यश का सोनम को कोई सपोर्ट नहीं था। सोनम को उसके देवर ने भी काफी ताने दिये। लास्ट में सोनम का मोबाईल भी ले लिया था। सोनम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी, घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकती थी।'' जो बात लिखवायी है वह पुलिस बयान में नहीं लिखवायी थी। सोनम ने कभी वाट्सअप ग्रुप पर स्वयं के साथ यश जांगिड़ या उसके परिवार वालों के द्वारा की गयी किसी मारपीट का फोटोग्राफ नहीं भेजा। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनम के साथ हुई तथाकथित मारपीट का कहीं कोई इलाज करवाया गया या नहीं। यह बात सही है कि उसने यश जांगिड़ का कोई सैलेरी अकाउंट या स्टेटमेन्ट कभी नहीं देखा, अजखुद कहा कि यश ने स्वयं ने ही अपनी सैलेरी बतायी थी। सोनम के ससुराल वाले हमारे द्वारा दिये गये दान–दहेज से खुश नहीं थे, यह बात उसने पीहर आने पर बतायी थी। यह बात हमारे वाट्सअप ग्रुप पर भी सोनम ने बतायी थी। शादी के पहले सोनम के ससुराल वालों ने दान–दहेज की मांग की या नहीं पता नहीं है। यह कहना सही है कि सोनम ने अपने ससुराल वालों के द्वारा तंग करने की बात पर भी हमारे घर वालों ने जयपुर नहीं जाने या मुम्बई में रहने को नहीं कहा, अजखुद कहा कि मेरे पापा ने सोनम के ससुराल वालों से बात की थी और उसके ससुराल वालों ने आश्वासन दिया था कि सब ठीक होगा। सोनम ने जितने दिन सर्विस की, उसको उसके ससुराल वाले ही लेने जाते थे और वो ही छोड़ने जाते थे, उक्त बात मुझे सोनम ने बतायी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–03 में सोनम ने अपने ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग किये जाने से परेशान होकर सुसाईड करने की बात नहीं लिखी। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–3 में 'सी' से 'डी' भाग में ससुराल वालों द्वारा ना तो मारने और ना ही डांटने की बात लिखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–03 में 'ई' से 'एफ' भाग में अपने स्वयं के माता–पिता के नाराज होने और नाराज होने के कारण के बाबत् लिखा है। यह कहना सही है कि मुख्य परीक्षण में मैंने सोनम के ससुराल वालों पर जो आरोप लगाए है, उसके बारे में कोई दस्तावेज साक्ष्य

नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरी बहिन मुम्बई में पढ़ी–लिखी थी, वह जयपुर में अपने आप को फिट नहीं पाने से आत्महत्या की हो।

34. गवाह पी.ड.17 मृतका की माता कमला जांगिड़ ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसके पाँच बच्चे है जिनमें चार लडकियां एवं एक लड़का है। सोनम उसकी तीसरे नम्बर की बेटी है जिसकी शादी दिनांक 25.11.2015 को यश जांगिड के साथ की थी। यह रिश्ता मुम्बई में रहने वाले मदन जांगिड और सुरेश जांगिड ने करवाया था। उन्होंने उनकी बेटी की शादी अच्छी की थी तथा खूब दान–दहेज और उपहार वगैरह दिये थे। उसकी बेटी सोनम से शादी के बाद अक्सर उससे बात होती थी और जब भी उससे बात होती थी तो वह डरी–डरी रहती थी। सोनम को उसका पति फोन पर बात करने नहीं देता था। सोनम को उसके पति व ससुराल वाले नौकरी नहीं करवाने देते थे और इस बात को लेकर उन्होंने सोनम के ससुराल वालों से समझाईश भी की थी और कहा था कि आजकल लड़कियां भी नौकरियां करती है परन्तु सोनम के पति ने नौकरी के लिए साफ मना कर दिया था। फिर दिनांक 03.07.2017 को सोनम के पापा सोनम को उसके ससुराल से वापिस उनके घर पर लेकर आ गये थे। जब सोनम उनके पास थी तब उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उस पर हर बात पर शक करते है और दहेज की मांग करते है और कहते है कि तेरे बाप ने शादी अच्छी नहीं की है और गाड़ी नहीं दी है और देवर राहुल को भी सोने का ब्रेसलेट देने की बात कहते है तथा आये दिन सोनम से नई–नई चीजों की मांग करते रहते थे। फिर लगभग दो महिनें बाद सोनम के ससुर राधाकिशन उनके घर पर मुम्बई आये थे और कहा कि वे सोनम को उनकी बेटी के तरह रखेंगे और उसको कोई परेशान नहीं करेगा, उसे आप उनके साथ भेज दो। फिर दिनांक 05.09.2017 को सोनम को उसके ससुर राधाकिशन के साथ वापिस ससुराल भेज दिया था परन्तु सोनम के ससुराल में जाते ही उसे वापिस परेशान करने लग गये थे और उससे पैसा, गाड़ी और जेवरात की मांग करने लग गये थे। सोनम की सास ने उसे एक बार फोन कर कहा था कि इतनी साड़ी कम क्यों दिये हो और देनी चाहिए थी। सोनम को उसका पति हमेशा टार्चर करता था और उसे खुश नहीं रखता था। सोनम जब उनके पास गणगौर पर आई थी तब उसके पति ने उसे 30,000/–रूपये देकर भेजा था और जब दुबारा वह वापिस

उनके घर पर आई थी तब भी उसके पति ने उसे 20,000/–रूपये देकर भेजा था। सोनम दहेज, तंग–परेशान और नौकरी नहीं करने देने के कारण परेशान होकर मर गई। उक्त गवाह दौराने जिरह कथन करती है कि यह कहना सही है कि उसकी बेटी के मरने से पूर्व अभियुक्त व उसके परिवार के विरूद्ध कहीं भी कोई शिकायत नहीं की। उसके पुलिस बयान में लिखाई गयी शक करने वाली उसने इसलिए लिखवाई थी क्योंकि सोनम की सास कहती थी कि यहॉ पर साडी ही पहननी है सूट नहीं पहनना।

चिकित्सकीय साक्षीः–

35. गवाह पीड–06 डॉ. धीरज वर्मा, गवाह पी.ड.18 डॉ. दिनेश अग्रवाल एवं गवाह पी.ड. 21 डॉ. मोनिका ने मृतका सोनम का पोस्टमार्टम करना बताते हुए अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.10.2017 को एसीपी झोटवाड़ा की तहरीर पर मृतका सोनम का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। परीक्षण के दौरान मृतका के मुंह से दांये भाग में स्लाइवा निकल रहा था। दोनों हाथों के नाखून व होंठ व पैरों के नाखून नीले पड़े हुए थे। पोस्टमार्टम स्टैनिंग बैक व डिपेन्डेड पार्टस पर थी। परीक्षण के दौरान 30 सेमी का लाइग्रेचर मार्क गले पर पाया गया जो 1 से 1.5 सेमी चौड़ा था जो पीछे की ओर थी एवं 2 से 2.5 सेमी की चौड़ाई गले में दांयी तरफ थी। लाईग्रेचर मार्क आंबलिग था जो बांये कान से 7 सेमी नीचे की ओर, टोढ़ी से 6 सेमी नीचे था। दांये कान से 3 सेमी नीचे की ओर था। 3 सेमी का गेप गले में बांयी तरफ था। आगे परीक्षण करने पर उसके लाईग्रेचर मार्क के नीचे की सबक्यूटेनियस टिश्यू व मसल्स पेल व चमकदार थी, कोई भी हीमेटोगा नहीं था। थायराइड कार्टिलेज व हार्थोड बोन इंटेक्ट थी। सास लेने का जो नली थी जो कंजस्टड थी। कॉमन पॉइजनिंग के एफएसएल सेम्पल लिये थे। उक्त सभी सैम्पल को सीलबंद कर साथ आए पुलिसकर्मी को दे दिए। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृत्यु का कारण दम घुटना है जो मृत्यु पूर्व फांसी का फंदा लगने से कारित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 है, जिस पर 'ए' से 'बी' मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया परीक्षण, 'सी' से 'डी' मेडिकल बोर्ड की राय, 'ई' से 'एफ' डॉ. धीरज वर्मा के हस्ताक्षर है, 'जी' से 'एच' दिनेश अग्रवाल के हस्ताक्षर है तथा 'आई' से 'जे' डॉ मोनिका के हस्ताक्षर एवं 'के' से 'एल' डॉ. रविन्द्र सचदेवा के हस्ताक्षर है। परीक्षण के दौरान समस्त विसरा, लंग्स,

लीवर व किडनी कंजस्टड थी एवं बच्चेदानी खाली थी तथा हैल्दी थी। एफएसएल में कॉमन पॉइजनिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले। उक्त गवाहान ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि मृतका के गले के अलावा कहीं भी चोट के निशानात नहीं थे। मृत्यु दम घुटने से व गला दबाने के कारण दम घुटने से मृत्यु हुई है।

अनुसंधान साक्षीगणः—

36. गवाह पीड—1 सरिता द्वारा अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 09.10.2017 को कानिस्टेबल के पद पर मुरलीपुरा थाने में पदस्थापित थी, उस दिन मुकदमा नम्बर 474/17 में आईओ ने एक 9 पेज का सुसाईड नोट व एक पैन उसके सामने जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी—01 है, जिसकी पुस्त पर 'ए' से 'बी' उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में ही दिनांक 09.10.2017 को ही आईओ ने एक साड़ी उसके सामने जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी—2 है, जिस पर 'ए' से 'बी' उसके हस्ताक्षर है।

37. गवाह पीड—5 भींवाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 12.10.2017 को कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा, जयपुर में हैड कानि0 886 के पद पर पदस्थापित था, उस दिन वह एसीपी झोटवाड़ा के साथ मुरलीपुरा गया था। थाने पर एसीपी ने मुलजिम यश जांगिड़ को मु.नं. 474/2017 में जरिये फर्द प्रदर्श पी—11 उसके सामने गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी से पूर्व मुलजिम की जामा तलाशी उसने ली थी, पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला था।

38. गवाह पीड—9 जितेन्द्र यादव ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 17.10.2017 को थाना मुरलीपुरा में कान्स्टेबल के पद पर तैनात था, उस दिन थाने के प्रकरण सं. 474/2017 में आईओ द्वारा लिए गए सैम्पल को कुल 03 पैकेट एचएम मालखाना ने उसे वास्ते एफएसएल जांच में जमा करवाने हेतु दिए थे जो सीलबन्द थे। उक्त तीनों सीलबंद पैकेट को उसने दिनांक 17.10.2017 को एफएसएल अनुभाग जयपुर में जमा करवाकर उसकी एफएसएल प्राप्ति रसीद प्राप्त कर एचएम मालखाना को लाकर सुपुर्द की।

39. गवाह पीड–11 संजय कुमार ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 09.10.2017 को थाना मुरलीपुरा में कान्स्टेबल के पद पर तैनात था, उस दिन थाने मृग संख्या 32/2017 में आईओ नवीन खण्डेलवाल द्वारा उसके व सरिता महिला कान्स्टेबल के समक्ष मृतका सोनम जांगिड़ द्वारा पंखे से फंदा लगाकर जो साड़ी प्रयोग मे ली गयी थी, उसे जरिये फर्द प्रदर्श पी–02 के जब्त किया था, जिस पर 'सी' से 'डी' उसके हस्ताक्षर है। साड़ी बरंग सिन्दूरी होकर तीन टूकड़ों में थी, उसी दिन आईओ द्वारा मृतका द्वारा जिस कमरे मे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गयी थी, उस कमरे का निरीक्षण किया था, दौराने निरीक्षण कमरे में बने मन्दिर के सामने एक सोसाईड़ नोट व एक पैन बरंग स्लेटि मिला था। सुसाईड़ नोट डायरी के पांच पेज पर लिखा था, जो आगे पिछे लिखा होकर कुल नौ पेज में अंग्रेजी मे लिखा हुआ था, जिसे उसके व सरिता के समक्ष आईओ ने जरिये फर्द प्रदर्श पी–01 के जब्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

40. गवाह पीड–19 नवीन खण्डेलवाल ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 09.10.2017 को पुलिस थाना मुरलीपुरा पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन जरिये पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि प्लॉट नम्बर 21, पटेल विहार चरण नदी मुरलीपुरा में एक महिला सोनम जांगिड़ ने अपने ससुराल में फांसी लगा ली है। इस ईत्तला पर वह, रोहिताश एएसआई, डालचन्द हैड कानि0, कानि0 संजय व महिला कानि0 सरिता मय सरकारी जीप व चालक व आईओ बॉक्स के घटनास्थल के लिए रवाना हुये। मौके पर पहुंचे तो उक्त मकान में एक कमरे में सोनम जांगिड़ ने पंखे से साडी का फंदा बनाकर लटकी हुई थी। मौके पर उक्त मृतका के सास–ससुर व देवर उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में साड़ी का फंदा काटकर महिला को नीचे उतारा तथा चैक कर मृत्यु होना पाया जाने पर हालात जरिये टेलीफोन उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। मृतका की शादी 25.11.2015 को हुई थी जिसकी घटना दिनांक तक दो वर्ष भी पुरे नहीं हुये थे। घटना की सूचना जरिये टेलीफोन एसीएम आमेर को भी दी गई। निर्देशानुसार मौके पर मृतका द्वारा फंदा बनाने के लिए प्रयुक्त की गई साड़ी को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 के जब्त कर कपड़े की थैली में रखकर

सील मोहर किया गया, पैकेट पर मार्का 'ए' अंकित किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 पर 'ए' से 'बी', 'सी' से 'डी' भाग पर रूबरू मौतबिरान सरिता व संजय के हस्ताक्षर है तथा 'ई' से 'एफ' भाग पर उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। इसी कमरे से मृतका द्वारा डायरी के पन्नों पर लिखा गया सुसाईड नोट कुल पृष्ठ 9 (पांच पेज पर आगे-पीछे) व एक पैन को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 के जब्त किया था। प्रदर्श पी 1 पर 'ए' से 'बी', 'सी' से 'डी' भाग पर मौतबिरान के हस्ताक्षर है तथा 'ई' से 'एफ' भाग पर उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। सुसाईड नोट व पैन को लिफाफे में रखकर सील मोहर कर मार्का 'ए' 1 अंकित किया था, उसके बाद मृतका के परिवारजन को टेलीफोनिक सूचना दी तो उन्होंने बताया था कि वे बॉम्बे है, कल आ जाएंगे। इसके बाद मृतका की लाश को जरिये एम्बुलेंस मोर्चरी में रखवाया था। इसके बाद घटनास्थल कमरे को ताला लगाकर सील मोहर कर वापस थाने आये। उसी दिन मृतका के ससुर राधाकृष्ण जांगिड़ की रिपोर्ट पर मृग संख्या 32/17 धारा 176 सीआरपीसी में दर्ज कर अनुसंधान एसीएम आमेर कुन्तल विश्नोई के सुपुर्द की गई थी। अगले दिन दिनांक 10.10.2017 को मृतका सोनम के पिता बिहारीलाल उपस्थित थाना आये, जिन्होंने एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर मामला अन्तर्गत धारा 498ए, 304 बी आईपीसी में पाया जाने पर मुकदमा नम्बर 474/2017 दर्ज किया व तफ्तीश निर्देशानुसार एसीपी झोटवाड़ा आस मोहम्मद के सुपुर्द की। सुसाईड नोट को अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान शामिल पत्रावली कर लिया था। पत्रावली में संलग्न सुसाईड नोट और पैन को देखकर बताया कि यह वही सुसाईड नोट और पैन है जो उसने मौके से जरिये फर्द जब्त किये थे। लिफाफा आर्टिकल 1 है व पैन आर्टिकल 2 है। लिफाफा पर मार्का ए 1 अंकित है जिस पर गवाहन के तथा उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान पत्रावली थाना हाजा पर वास्ते चार्जशीट हेतु पेश हुई। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम यश जांगिड़ के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 306 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर चार्जशीट पेश की। जब्तशुदा माल सील बंद हालत में कानि0 संजय कुमार 8306 ने थाना मुरलीपुरा से पेश किया। एक सफेद कपड़े की थैली जिस पर चिट चेपा पर मार्का ए अंकित है जो कि आर्टिकल 3 है जिस पर गवाहान के,

उसके हस्ताक्षर अंकित है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। उक्त थैली को खोला तो उसमें सिन्दूरी सफेद रंग की साडी थी जो आर्टिकल 4 है जिसको देखकर बताया कि यह वो ही साड़ी है जो उसने मौके से जब्त कर सील मोहर की थी।

41. उक्त गवाह दौराने जिरह कथन करता है कि अनुसंधान में अभियुक्त के परिवार द्वारा मृतका या उसके परिवारजन से कोई दहेज की डिमाण्ड किया जाना नहीं पाया गया हो, यह तथ्य अनुसंधान अधिकारी बता सकते है, वह नहीं बता सकता। उसने चार्जशीट पेश करने से पहले पत्रावली को पढ़ा था। यह कहना सही है कि उसने सुसाईड नोट को पढ़ा था। आज उसे याद नहीं है कि सुसाईड नोट के 9 पृष्ठों में मृतका ने कहीं पर भी अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों पर कोई आरोप लगाया अथवा नहीं। वह नहीं बता सकता कि अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में किस आधार पर निष्कर्ष दिये थे, अनुसंधान अधिकारी ही बता सकता है। अज खुद कहा कि मेरे से वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अनुसंधान किया गया था और उनके निष्कर्ष के आधार पर ही चालान पेश किया गया था। मृतका की मृत्यू से तत्कालिक पूर्व किसी प्रकार का कोई विवाद या झगड़ा होना पाया गया हो तो, यह मैं नहीं बता सकता, अनुसंधान अधिकारी बता सकता है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरे द्वारा चालान पेश करने के अलावा अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया गया था।

42. गवाह पी.ड.20 आस मोहम्मद जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.10.2017 को एसीपी झोटवाडा के पद पर पदस्थापित था, उस दिन थाना मुरलीपुरा पर दर्ज अभियोग संख्या 474/2017 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी आईपीसी का अनुसंधान उसके द्वारा प्रारम्भ किया गया था। अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये थे। अनुसंधान के दौरान मृतका सोनम की फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–03 उसके द्वारा मुर्तिब की गई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतका सोनम की लाश को उसके पिताजी बिहारीलाल को सुपुर्द गई थी जो कि प्रदर्श पी–07 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतका के

पिताजी बिहारीलाल को दहेज संबंधी सामान स्त्रीधन की सूची के बिल बाबत् दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–08 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतका सोनम की शादी का कार्ड उसके पिताजी के द्वारा उसके समक्ष पेश किया गया था जो कि प्रदर्श पी–09 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा शामिल पत्रावली का नोट अंकित है तथा पेशकर्ता बिहारीलाल के हस्ताक्षर है। परिवादी बिहारीलाल के द्वारा स्त्रीधन की सूची उसके समक्ष पेश की गई थी। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा मुलजिम यश जांगिड को प्रदर्श पी–11 के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मृतका सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम के पिताजी राधाकिशन द्वारा पेश किया गया स्त्रीधन को जरिये फर्द प्रदर्श पी–14 के जब्त किया गया था। एफएसएल में जमा आर्टिकल्स की रसीद प्रदर्श पी–15 है जिसकी पुश्त पर उसके हस्ताक्षर है तथा शामिल पत्रावली का नोट अंकित है। मुलजिम यश जांगिड की पुलिस अभिरक्षा के दौरान उसे धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्त्रीधन बरामद हेतु दी गई इतला जो प्रदर्श पी–18 हैं जिस पर उसके तथा मुलजिम के हस्ताक्षर है। परिवादी बिहारीलाल के द्वारा अनुसंधान के दौरान मृतका सोनम की शादी से संबंधित फोटोग्रॉफ्स पेश किये थे जिनको शामिल पत्रावली किया गया। अनुसंधान के दौरान जब्तशुदा माल को मालखाना में जमा करवाया गया था। असल मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–19 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम यश जांगिड के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए, 306 आईपीसी का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी मुरलीपुरा को वास्ते पेश चालान अदालत हेतु प्रेषित किया गया था।

43. उक्त गवाह दौराने जिरह कथन करता है कि यह कहना सही है कि दोनों पक्षों के मध्य शादी राजीखुशी और सहमति से हुई थी तथा पुरानी रिश्तेदारी थी। यह कहना सही है कि शादी से पूर्व कोई दहेज संबंधी लेना–देना तय नहीं हुआ था तथा शादी सामान्य प्रकार से हुई थी। मृतका की नौकरी छुडवाई गई थी इस बाबत् मृतका के पीहर पक्ष ने बताया था। मृतका घर से बाहर नहीं निकलेगी उक्त बात किस गवाह ने कही थी, उसका नाम आज पता नहीं है। मृतका का फोन उसके ससुरालवालों ने लिया हो तो उसने उनसे जब्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि आस–पडौस के लोगों ने मृतका के घर से बाहर निकलने की पाबंदी थी इस संबंध में किसी भी गवाह

ने अपने बयानों में नहीं बताया है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम की पूछताछ एवं अन्य तफ्तीश से यह तथ्य सामने आया था कि मृतका अपने फोन पर किसी दूसरे लडके से बातचीत करती थी लेकिन चुंकि मोबाईल सामने नहीं आया इसलिए इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई थी। मृतका की नौकरी छुडवा दी हो इस संबंध में उसने उनके ऑफिस से कोई अनुसंधान नहीं किया था। मृतका के मरने के दिन तक अगर वह नौकरी कर रही हो तो उक्त बात उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि ससुराल पक्ष के आसपडौस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने मृतका को दहेज के लिए प्रताडित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया था। यह कहना सही है कि मृतका ने अपने सुसाईड नोट में ससुराल पक्ष पर किसी प्रकार का कोई आरोप अपने पति और ससुरालपक्ष पर नहीं लगाया था। मृतका ने अपने सुसाईड नोट में अपने माता–पिता पर जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया हो तो उसे याद नहीं है। मृतका के घूंघट निकालने एवं घर में ऊची आवाज में बात नहीं करने और घर में अनेकों पाबंदी लगाने के संबंध में किसी पडौसी ने कहा हो तो उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि मृतका पर पाबंदी लगाने एवं उसे प्रताडित करने के संबंध में पीहरपक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य मेरे समक्ष पेश नहीं किया गया था। उसे पता नहीं है कि मृतका के मुम्बई में पले–बढे होने के कारण उसे जयपुर में वैसा माहौल नहीं मिला हो इस कारण से उसने सुसाईड कर लिया हो। अनुसंधान के दौरान पीहरपक्ष के बयानात् एवं शादी को हुये केवल दो वर्ष ही हुये थे और पत्रावली पर प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया था। यह कहना सही है कि इस संबंध में मैंने कोई कॉल रिकॉर्ड या मैसेज रिकार्ड पर नहीं लिये थे क्योकि पीहरपक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य मेरे समक्ष पेश नहीं की गई थी। यह कहना गलत है कि सिर्फ पीहरपक्ष के मौखिक बयानात् एवं मृतका की शादी को केवल दो वर्ष होने के कारण ही मैंने आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया बल्कि अन्य साक्ष्य जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्द इतला 27 तथा फर्द जब्ती स्त्रीधन, नक्शा मौका इत्यादि के आधार पर आरोप माना था। नक्शा मौके में घटनास्थल पर मृतका द्वारा किये गये सुसाईड का साबित होना पाया गया था जो आरोपी का रिहायशी मकान था।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क :–

44. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

45. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि शादी के दो साल तक कभी कोई रिपोर्ट दहेज की मांग आदि को लेकर परिवादी पक्ष की ओर से दर्ज नहीं कराई गई ना ही कोई शिकायत की गई। मुख्यतः अभियुक्त पर कार, देवर के लिए ब्रसलेट आदि की मांग करने का आरोप लगाया गया है किन्तु इस संबंध में सभी गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने मृतका की नौकरी छुड़वा दी थी एवं उसका वेतन वह ले लेता था किन्तु अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर पाया है। गवाहान ने दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान करने पर दिनांक 28.06.2017 को समझाईश के लिये जयपुर आना बताया है किन्तु वास्तव में मृतका के मोबाईल पर अन्य सहकर्मियों के चैट आदि मिलने पर विवाद होना एवं उसी क्रम में मृतका को समझाने के लिए आना विवक्षित रूप से गवाहान ने स्वीकार किया है। मृतका के परिवारजनों का वाट्सअप ग्रुप बना हुआ था जिस पर मृतका व सभी परिवारजन आपस में प्रतिदिन चैट करते थे। गवाहान ने स्वीकार किया है कि मृतका ने कभी उस ग्रुप पर दहेज की मांग आदि को लेकर कोई शिकायत नहीं की। बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि मृतका ने मृत्यु से पूर्व एक सुसाईड नोट लिखा था जो मृतका द्वारा लिखा होना विवादित नहीं है। उक्त सुसाईड नोट में मृतका ने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि वह मुम्बई जैसे माहौल में पलीबढी थी एवं यहॉ जयपुर के पारम्परिक माहौल से वह सन्तुलन नहीं बैठा पा रही थी। मृतका ने अपने सुसाईड नोट में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाती हो या उसे तंग–परेशान किया जाता हो बल्कि उसने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अभियुक्त एवं उसके परिवारजन की इस मामले में कोई गलती नहीं है। मृतका ने अपने सुसाईड नोट में मुख्यतः अपने स्वयं के परिवार के शादी के निर्णय को प्रश्नगत किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि अभियुक्त या उसके परिवारजन द्वारा मृतका के साथ कभी दहेज की मांग को लेकर मारपीट या उसे तंग–परेशान नहीं किया गया। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये,

जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः—

1- 2015(2) Criminal Court Cases 367 SC, M/s. Virupaxappa mallappa majjigudda & Anr. Vs State of Karnataka.

2- 2002(1) Cr.L.R. (Raj.) 79, Raj. High Court, Ram Singh Vs The state of Raj.

3- (2007)7 SC 667, Preeti gupta and another Vs State of jharkhand and another.

4- 2017(3) Cr.L.R. (Raj.) 1274, Raj. High Court, State of Raj. Vs Gopal singh Rajput & Ors.

5- (2010)2 WLC 560 SC, S.S. Chheena Vs Vijay kumar mahajan and ano.

6- 2018(1) Criminal Cases 0299, Raj. High Court, Sohan lal Vs. State of karnataka.

7- 2018(3) Criminal Cases 0069, Karnataka High Court, Jadeppa Vs State of Karnataka.

8- 2015(Suppl.) Criminal Cases 278, Panjab & Haryana High Court, Bashir Vs State of Panjab.

9- SC, Ramesh kumar Vs State of Chhetteisgarh.

10- ILR(2004) II Delhi 184, Criminal Misc., Rajesh diwan & Anr. Vs NCT of Delhi.

11- High Court Delhi, Sonu kumar & Ors. Vs The State of Delhi.

12- SC, Mankamma Vs State of Kerala.

13- SC, Hans Raj. Vs State of Haryana.

14- SC, Amalendu pal jhantu Vs State of West Bengal.

15- High Court of Raj. Bansiya and anr. Vs State of Raj.

16- SC, Kishangiri Mangalgiri Goswami Vs State of Gujarat.

17- SC, Ramesh kumar Vs State of Chhattisgarh.

18- Raj. High Court, Kana ram Vs State of Raj.

46. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि मृतका को शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं तंग—परेशान किया जाता रहा, मृतका से जबरदस्ती सुसाईड नोट लिखवाया गया एवं तत्पश्चात् उसे मार दिया गया। उनका यह भी तर्क रहा है कि मृतका एक पढी—लिखी लडकी थी, शादी के दो वर्ष में ही वह सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती थी। वास्तव में अभियुक्त एवं उसके परिवारजन द्वारा दी गई प्रताडना उसकी मृत्यु का मुख्य कारण रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन के सभी

गवाहान ने एक स्वर में पीडिता के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं उसे तंग–परेशान करने के संबंध में आक्षेपकारी कथन किये हैं। अतः में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय :-

47. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

48. जहॉ तक धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध को साबित किये जाने का प्रश्न है, इसके लिए धारा 304बी भा.द.सं. के प्रावधान का विवेचन किया जाना आवश्यक हैः–

''304–ख.दहेज मृत्यु–1 जहॉ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहॉ ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।''

304बी भा.द.सं. के संदर्भ में निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता हैः–

1. संजय कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 363 (373) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304ख के अन्तर्गत निम्न तत्व अपराध का गठन करते हैंः–

1–मृतका का विवाह के सात वर्ष के अन्दर मर जाना तथा मृतका के माता–पिता को सूचना दिए बगैर जल्दबाजी में दाह संस्कार करना,

2–मृतका के परिवार के सदस्यों से दहेज की शिकायत एवं मांग करना,

3–मृतका के साथ निर्दयता–पूर्वक व्यवहार करना एवं,

4–मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति के जलने के द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से परे होना।

2. न्यायिक दृष्टांत तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 2009 एस. सी. 1454 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं कि 1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या स्वाभाविक परिस्थितियों से अन्यथा किसी प्रकार से कारित होनी चाहिए 2–ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो 3–उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उसे साथ क्रूरता किया गया था या उसको प्रपीडित किया गया था 4–ऐसी क्रूरता या प्रपीडन दहेज की मांग से संबंधित होनी चाहिए और 5–ऐसी क्रूरता को उसकी मृत्यु से तुरन्त पूर्व की होना दर्शित किया जाना चाहिए।

3. न्यायिक दृष्टांत हरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 680 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध के संघटक की उपधारणा के अनुसार किसी शारीरिक क्षति या जलने से या कुछ परिस्थितियों में जिसमें महिला की मृत्यु सामान्य नहीं है, 2–ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तारीख से 7 वर्षों के भीतर हो, 3–पीडित अपने पति या पति के किसी संबंधी द्वारा प्रताडना या क्रूरता की विषय बनायी गयी हो 4–ऐसी क्रूरता या प्रताडना दहेज की मांग के संबंध में या उसके लिए होनी चाहिए तथा 5–यह साबित होना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या प्रताडना उसकी मृत्यु के पूर्व की गयी थी।

4. न्यायिक दृष्टांत मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एस.सी.सी. 201 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

To sustain the conviction under Section 304B IPC, the following essential ingredients are to be established:

1- the Death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise than under a normal circumstance;

2- such a death should have occurred within seven years of her marriage;

3- she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband;

4- such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry; and

5- such cruelty or harassment is shown to have been meted out

to the woman soon before her death.

which is reitreatd in न्यायिक दृष्टांत Satbir Singh Vs. The State of Haryana on 28 May 2021, AIR 2021 S.C. 1879

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में मुख्यत यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. के तहत अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि के लिये निम्न आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक हैः–

1–मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो।

2–मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने या अस्वाभाविक मृत्यु से हुई हो।

3–मृत्यु से पूर्व मृतका के पति या नातेदारों दहेज की मांग के लिए मृतका को तंग–परेशान करते थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसके व धारा 304बी भा.द.सं. की परिभाषा के तहत पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन व मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हैः–

49. **जहॉ तक प्रकरण की मृतका सोनम की मृत्यु उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर होने का प्रश्न हैः–**

इस संदर्भ में स्वयं प्रकरण के परिवादी एवं मृतका के पिता बिहारीलाल जांगिड ने एफआईआर दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में अपनी पुत्री सोनम जांगिड का विवाह अभियुक्त यश जांगिड के साथ दिनांक 25.11.2015 को होना एवं एफआईआर दर्ज करवाये जाने से एक दिन पहले अर्थात् दिनांक 09.10.2017 को अभियुक्त एवं उसके परिवारजन के द्वारा उसे मारकर पंखे पर लटका देना बताया है, परिवादी पीड–3 बिहारीलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में भी उक्त तथ्यों को दोहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान पीड–2 मृतका के जीजा संदीप जांगिड, भाई पीड–8 आकाश जांगिड, बहिन पीड–10 पूनम जांगिड, मृतका के चाचा पीड–12 गजानन्द, बहिन पीड–16 रीना जांगिड, माता पीड–17 कमला जांगिड के बयानों के अवलोकन से भी दिनांक 25.11.2015 को अभियुक्त एवं मृतका सोनम का विवाह होना एवं दिनांक 09.10.2017 को सोनम के पंखे से लटककर मृत्यु होने का तथ्य प्रकट होता है। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकीय साक्षीगण पीड–6 डॉ. धीरज वर्मा, पीड–18 डॉ. दिनेश अग्रवाल और पीड–21 डॉ.मोनिका की साक्ष्य एवं

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12, पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 के अवलोकन से मृतका की मृत्यु दिनांक 09.10.2017 को होने का तथ्य प्रकट होता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से दिनांक 25.11.2015 को अभियुक्त एवं मृतका सोनम का विवाह होना एवं दिनांक 09.10.2017 को सोनम के पंखे से लटककर मृत्यु होने का तथ्य साबित होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष परीक्षित गवाहान के कथनों से धारा 304बी भा.द.सं. के प्रथम आवश्यक तत्व को साबित करने में सफल रहा है।

50. **जहॉ तक मृतका की मृत्यु शारीरिक क्षति, जलने या अस्वाभाविक परिस्थितियों में होने का प्रश्न हैः–**

इस संदर्भ में स्वयं प्रकरण के परिवादी एवं मृतका के पिता बिहारीलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि दिनांक 09.10.2017 को मृतका की मॉ ने करवा चौथ होने के कारण सोनम से बात करने के लिए सोनम की सास के फोन पर फोन किया तब उसकी पुत्री ने रोते हुए बताया कि ये लोग दहेज के लिए वापिस परेशान कर रहे है एवं इन लोगों ने जबरदस्ती सुसाईड नोट भी लिखवा लिया है, ये लोग कभी भी उसे मार सकते हैं एवं दूसरे दिन उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री को इन लोगों ने मारकर पंखे पर लटका दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित प्रकरण के परिवादी पीड–3 बिहारीलाल ने अपनी साक्ष्य में विवाह के पश्चात् ससुरालवालों द्वारा सोनम को घटिया शादी करने के ताने देना एवं कार, नकद रूपये व देवर राहुल के लिये सोने के ब्रासलेट की मांग करना तथा दिनांक 09.10.2017 को सोनम के पंखे से लटककर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होना बताया है, मृतका के जीजा पीड–2 संदीप जांगिड विवाह के पश्चात् यश जांगिड एवं अन्य द्वारा सोनम को दहेज के लिये परेशान करना और परेशान होकर सोनम द्वारा आत्महत्या कर लेना बताया है। मृतका के भाई पीड–8 आकाश जांगिड ने भी दिनांक 09.10.2017 को सोनम द्वारा पंखे से फांसी लगा लेने की सूचना प्राप्त होना और सोनम को दहेज के लिए टॉचर करके मार डालना बताया है। मृतका के चाचा पीड–12 गजानन्द ने यश जांगिड एवं अन्य द्वारा परेशान करने के कारण मृतका के खत्म हो जाने का कथन किया है। गवाह पीड–13 चाचा पवन कुमार जांगिड ने भी सोनम को उसके पति,

सास–ससुर एवं देवर द्वारा परेशान करना जिससे परेशान होकर मानसिक तनाव में आकर सोनम द्वारा आत्महत्या कर लेना बताया है। गवाह पीड–16 मृतका की बहिन रीना जांगिड एवं पीड–17 माता कमला जांगिड ने भी सोनम द्वारा दहेज के लिये तंग–परेशान होकर फांसी खाकर मर जाना बताया है। पंचनामा प्रदर्श पी–3 में पंचों द्वारा मृतका की मृत्यु ससुराल वालों द्वारा मारकर लटकाने से होना जाहिर किया गया है। मृतका के मृत शरीर का दौराने अनुसंधान पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले साक्षीगण पीड–6 डॉ. धीरज वर्मा, पीड–18 डॉ. दिनेश अग्रवाल और पीड–21 डॉ. मोनिका ने स्वयं द्वारा मृतका के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाना एवं मृतका के गले पर 30 से.मी का लाईगेचर मार्क पाया जाना बताया है एवं कथन किया है कि लाईगेचर मार्क 1 से डेढ से.मी. चौडा था एवं लाईगेचर मार्क में 3 से.मी. का गैप गले में बायी ओर था एवं मृत्यु का कारण इन चिकित्सकीय साक्षीगण द्वारा मृत्यु पूर्व फांसी का फंदा लगाने के कारण दम घुटने से होना बताया है एवं एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार कोई जहर की उपस्थिति नहीं होना बताया है। ऐसे में इन गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से हुई है।

51. प्रकरण में अब तक किये गये अभियोजन साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन धारा 304बी भा.द.सं. के आवश्यक अव्यवों में से दो अव्यवों को सन्देह से परे साबित कर पाने में सफल रहा है अर्थात् अभियोजन यह साबित कर पाने में सफल रहा है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई तथा मृतका की मृत्यु सामान्य/प्राकृतिक मृत्यु नहीं होकर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने के कारण हुई है।

52. मृत्यु के शीघ्र पूर्व मृतका के पति, पति के नातेदारों द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में प्रपीडित किये जाने का प्रश्न है, मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता हैः–

1. उदय चक्रवती बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, ए.आई.आर. 2010, एस.सी. 3506 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व 'अभिव्यक्ति का उसका सम्यक् अर्थ दिया

जाना है, क्योंकि विधानमण्डल द्वारा कोई ऐसा समय विनिर्दिष्ट नहीं किया है जो मृत्यु से पूर्व अवधि हो सकेगी, जो भा.द.सं. की धारा 304ख के उपबंध को आकर्षित करे। युक्तियुक्त समय की धारणा, जो दिये गये मामलें के तथ्यों, पक्षकारों के आचरण, मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु करने के लिए दहेज मांग के संबंध में मृतका पर की गई क्रूरता पर निर्भर करता है।

2. न्यायिक दृष्टांत कन्हीं अब्दुल्ला और अन्य बनाम स्टेट ऑफ केरल 2004 (4) एस.सी.सी. 13 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''कुछ समय पूर्व'' एक सापेक्षित पद है और वह प्रत्येक मामलें की परिस्थिति पर निर्भर होगा और कोई कठोर नियम इस बारे में अभिकथित नहीं किया जा सकता कि ''घटना से कुछ समय पूर्व'' की अवधि कौन गठित करता है। वह किसी नियत अवधि को उपदर्शित करने के लिए हानिकर हो सकेगा और वह दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत के लिए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के अन्तर्गत उपधारणा उठाने के लिए दोनों के लिए एक निकट परीक्षण में महत्व में लाता है। उस अवधि का निर्धारण जो ''कुछ समय पूर्व'' पद के भीतर आ सकता है, प्रत्येक मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करके न्यायालय द्वारा अवधारणीय है। दहेज मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और कथित मृत्यु के बीच निकटस्थ और सजीव संबंध अस्तित्व में होना चाहिए।

3. सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 28 मई 2021, एआईआर 2021 एस. सी. पेज 1879 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः—में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः—

''The Phrase soon before as appearing in Section 304B IPC cannot be constured to mean immediately before. The Prosecution must establish existence of proximate and live link between the dowary death and curelty or harassment for dowry demand by the husband or his relatives."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. में आने वाले वाक्य ''कुछ समय पहले' का अर्थ तुरन्त पहले से नहीं लगाया जा सकता। अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या पति के नातेदारों के द्वारा दहेज के लिए की गई क्रूरता या उत्पीडन के बीच निकट व सजीव संबंध स्थापित करना आवश्यक है।

साथ ही धारा 304बी भा.द.सं. के स्पष्टीकरण में यह उल्लेखित किया गया है कि धारा 304बी भा.द.सं. में दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

इस प्रकार कौनसी वस्तु या मांग दहेज की श्रेणी में आती है, इस संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है, जो कि इस प्रकार से हैः–

दहेज का मतलब है कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से :

क–विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या

ख–विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना। लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में शामिल नहीं होगा।

53. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के लिये मृतका के पिता पीड–2 जीजा संदीप, पीड–3 पिता बिहारीलाल, पीड–8 भाई आकाश, पीड–10 बहिन पूनम, पीड–12 चाचा गजानन्द, पीड–13 चाचा पवन, पीड–17 माता कमला जांगिड को प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण के रूप में पेश कर परीक्षित कराया गया है।

54. **जहॉ तक शादी से पूर्व एवं शादी के समय अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में प्रपीडित किये जाने का प्रश्न है,** इस संबंध में स्वयं मृतका के पिता पीड–3 बिहारीलाल जांगिड ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सोनम की शादी में जो सामान दिया था उसके लिए यश जांगिड या उसके पिताजी ने उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। मृतका के जीजा पीड–2 संदीप, पीड–3 पिता बिहारीलाल, पीड–8 भाई आकाश, पीड–10 बहिन पूनम, पीड–12 चाचा गजानन्द, पीड–13 चाचा पवन, पीड–17 माता कमला जांगिड के बयानों के समग्र विवेचन–विश्लेषण से यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त गवाहान जो कि मृतका के माता, पिता, भाई, बहिन, चाचा होकर मृतका के नजदीकी रिश्तेदार है, ने अपने सशपथ बयानों में मृतका सोनम का अभियुक्त यश जांगिड से विवाह से पूर्व एवं विवाह के समय अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग या उसके

संबंध में प्रपीडित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। इस प्रकार पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी पक्ष/अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने शादी से पूर्व एवं शादी के समय अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में प्रपीडित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं जिससे यह दर्शित होता है कि मृतका एवं अभियुक्त की सगाई, शादी एवं सभी कार्यक्रम राजीखुशी हुई थे, जिसमें अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार के दान–दहेज की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार स्वयं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के बयानों से यह साबित होता है कि परिवादी पक्ष से अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त का विवाह मृतका के साथ होने के समय या उससे पूर्व दहेज के रूप में किसी प्रकार की बहुमूल्य सम्पत्ति या प्रतिभूति की मांग नहीं की गई थी।

55. **जहॉ तक विवाह के पश्चात् से मृतका की मृत्यु से पूर्व तक अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज की मांग के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किये जाने का संबंध है,** इस संबंध में यद्यपि परिवादी बिहारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सोनम को उसके ससुराल वाले कहते थे कि उसके घरवालों ने घटिया शादी की है और ऐसी शादी तो नीची जाति के लोगों में की जाती है, वह अपने घर से एक हुंडई क्रेटा, नकद रूपये व देवर राहुल के लिये सोने का ब्रासलेट लेकर आयेगी तो ही उसे घर में अच्छे से रखेंगे लेकिन परिवादी ने स्पष्ट रूप अभियुक्त यश जांगिड द्वारा घटिया शादी करने एवं एक हुंडई क्रेटा, नकद रूपये व देवर राहुल के लिये सोने का ब्रासलेट की मांग करने के संबंध में विशिष्ठ रूप से कोई कथन नहीं किये हैं तथा दौराने जिरह यश जांगिड या उसके माता–पिता द्वारा उक्त गवाह या उसकी अन्य पुत्रियों से दहेज की मांग करने से इन्कार किया है तथा सोनम की शादी के समय जो सामान दिया था उसके लिए यश जांगिड या उसके पिता द्वारा उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालने का कथन किया है। मृतका के जीजा संदीप जांगिड ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण के अन्त की लाईनों में केवल सामान्य रूप से सोनम को दहेज के लिए उसके पति यश जांगिड एवं अन्य द्वारा परेशान करने का कथन किया है लेकिन यश जांगिड या अन्य परिवारजन दहेज में किस वस्तु या चीज की

मांग करते थे, कितने रूपयों की मांग करते थे, इस संबंध में विशिष्ठ रूप से कोई कथन नहीं किये है। उक्त गवाह ने परिवादी के कथनानुसार अभियुक्त यश जांगिड द्वारा मृतका से हुंडई क्रेटा, नकद रूपये व देवर राहुल के लिये सोने के ब्रासलेट की मांग के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। इसके अलावा उक्त गवाह ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके द्वारा दहेज की मांग और मारपीट के संबंध में जो भी कथन किये गये हैं वह घर पर जो बातें होती थी, उसके आधार पर ही किये हैं। यश जांगिड या उसके परिवार ने उससे किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की और ना ही उसके सामने किसी से की। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि मृतका का जीजा है और अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त यश जांगिड एवं अन्य द्वारा मृतका सोनम से दहेज की मांग करने का कथन करता है लेकिन उक्त गवाह दौराने जिरह उक्त दहेज की मांग के तथ्य घर पर होने वाली बातों के आधार पर बताना बताता है और अभियुक्त यश जांगिड या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उक्त गवाह से अथवा उसके सामने अन्य किसी से दहेज की मांग करने से स्पष्ट रूप से इन्कार करता है। मृतका के भाई पीड–8 आकाश जांगिड ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त यश जांगिड या उसके परिवारजन द्वारा मृतका सोनम से दहेज में क्रेटा गाडी, नकद रूपये एवं देवर के लिये ब्रेसलेट की मांग किये जाने के संबंध में कोई आक्षेपकारी कथन नहीं किये है लेकिन सोनम को दहेज के लिए टॉर्चर करना बताया है लेकिन दौराने जिरह उक्त टॉर्चर करने वाली बात अपने माता–पिता के कहे अनुसार बताना बताया है। मृतका की बहिन पीड–16 रीना जांगिड, मृतका के चाचा पीड–12 गजानन्द एवं दूसरे चाचा पीड–13 पवन ने भी अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त यश जांगिड या उसके परिवारजन द्वारा मृतका सोनम से दहेज में क्रेयटा गाडी, नकद रूपये एवं देवर के लिये ब्रेसलेट की मांग किये जाने के संबंध में कोई आक्षेपकारी कथन नहीं किये है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मृतका सोनम के पिता, जीजा, भाई, बहिन एवं माता के बयानों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि मृतका के विवाह के पश्चात् मृतका, उसकी बहिन, जीजा, माता, पिता का एक वाट्सअप ग्रुप बना हुआ था लेकिन उक्त वाट्सअप ग्रुप में मृतका द्वारा विवाह के पश्चात् से अपनी मृत्यु की दिनांक तक कभी भी यश जांगिड या उसके परिवारजन द्वारा उससे क्रेयटा

गाडी, नकद रूपये या देवर के लिए ब्रेसलेट की मांग करने, उसे परेशान करने या उसके साथ मारपीट किये जाने के संबंध में कोई चैट नहीं की गई थी ना ही इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत की गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये गवाहान की साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्यों के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन आने चाहिये यदि गवाहान के कथनों में स्पष्ट एवं विशिष्ठ रूप से अभियुक्त के विरूद्ध कथन नहीं आते हैं तो ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित नहीं है।

56. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मृतका के दिनांक 02.07.2017 को फोन आने पर उसके पिता उसे लेने दिनांक 03.07.2017 को जयपुर आए और उसे मुम्बई लेकर गये एवं तत्पश्चात् मृतका दिनांक 05.09.2017 तक मुम्बई में रही लेकिन इन दो महीनों में मृतका या उसके पिता द्वारा यश जांगिड या अन्य ससुरालजन के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई, ना ही मृतका के विवाह से लेकर उसकी मृत्यु होने से पूर्व तक मृतका या उसके पीहर पक्ष द्वारा यश जांगिड या उसके ससुरालजन के विरूद्ध दहेज की मांग के लिये अथवा अन्यथा तंग–परेशान करने के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ना ही किसी प्रकार की पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर कोई कार्यवाही की गई। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है लेकिन पत्रावली पर उक्त मारपीट के परिणामस्वरूप चोटें आने के संबंध में या मृतका का मेडिकल करवाये जाने के संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसके अलावा स्वयं मृतका ने अपने सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 में अभियुक्त यश जांगिड द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने या डांटने के तथ्यों से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है।

57. मृतका के पिता ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में सोनम को जॉब के बदले जो सैलेरी मिलती थी उसे यश जांगिड द्वारा ले लेने का आरोप लगाया है और दौराने जिरह उक्त तथ्य अपनी पत्नी पीड–17 कमला जांगिड द्वारा स्वयं को बताये जाने का कथन किया है लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में सोनम की सैलेरी यश जांगिड द्वारा लेने के संबंध में कोई आक्षेपकारी कथन नहीं

किये गये हैं, ऐसी स्थिति में परिवादी बिहारीलाल का अपने सशपथ बयानों में किया गया यह कथन कि सोनम को जॉब के बदले जो सैलेरी मिलती थी उसे यश जांगिड ले लेता था, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि गवाह पीड–2 मृतका के जीजा संदीप जांगिड ने भी अपने सशपथ बयानों में सोनम की सैलेरी यश जांगिड द्वारा स्वयं रख लेने का आरोप लगाया है लेकिन दौराने जिरह सोनम की सैलरी उसके अकाउंट में आना स्वीकार किया है और सोनम की सैलरी उसके पति द्वारा निकलवाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पुलिस को पेश करने से इन्कार किया है। गवाह पीड–8 मृतका के भाई आकाश ने मृतका की जॉब की सैलेरी ससुरालवालों द्वारा रख लेने का कथन किया है लेकिन स्पष्ट रूप अभियुक्त यश द्वारा सोनम की सैलेरी ले लेने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मृतका सोनम की सैलेरी उसके स्वयं के खाते में आती थी तथा अभियुक्त यश उसके खाते से उसकी सैलेरी निकलवा लेता हो, इस संबंध में पत्रावली पर किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आई है, मृतका के पिता बिहारीलाल ने सोनम की सैलेरी यश द्वारा ले लिये जाने की जानकारी अपनी पत्नी कमला द्वारा उसे देना बताया है जबकि मृतका की माता कमला ने अपने सशपथ बयानों में इस संबंध में कोई कथन ही कथित नहीं किये हैं। परिवादी बिहारीलाल ने दौराने जिरह सोनम के बैंक खाते का एटीएम कार्ड यश जांगिड द्वारा छीन लेना बताया है और उक्त एटीएम कार्ड के जरिये मृतका की सैलेरी निकलवाना बताया है लेकिन प्रथम तो इस प्रकार का कोई कथन परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया है इसके अलावा परिवादी ने एटीएम कार्ड छीन लेने के संबंध में सोनम द्वारा अपनी मम्मी एवं बहिनों को बताना बताया है लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मृतका की बहिन पीड–10 पूनम एवं माता पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त यश जांगिड द्वारा मृतका सोनम का एटीएम कार्ड छीन लेने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान पीड–10 बहिन पूनम, पीड–12 चाचा गजानन्द एवं पीड–13 पवन ने भी अपने सशपथ बयानों में सोनम की सैलेरी यश जांगिड द्वारा ले लिये जाने या उसका एटीएम कार्ड छीन लिये जाने के संबंध में अपनी साक्ष्य में एक शब्द भी अभिकथित नहीं

किया है।

58. परिवादी बिहारीलाल ने आगे अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब सोनम गाडी में बैठती थी तो उसका पति यश जांगिड कहता था कि गाडी में बैठने का शौक है तो अपने बाप की लेकर आओ और यदि शॉपिंग करनी है तो पैसे अपने बाप से लाओ और जब उसकी बेटी यश से खर्चे के पैसे मांगती थी तो यश उसके साथ मारपीट करता था और खर्चे के पैसे नहीं देता था लेकिन दौराने जिरह कथन किया है कि सोनम ने गाडी में नहीं बैठाने की जो बात बताई है वह किस तारीख की है उसे ध्यान नहीं है, यह बात सही है कि उसने गाडी में नहीं बैठाने की बात को लेकर यश जांगिड या उसके परिवार से शिकायत नहीं की, यश जांगिड ने सोनम के साथ मारपीट की उसकी तारीख, महीना उसे याद नहीं है, उसे याद नहीं है कि इस संबंध में सोनम ने कोई मैसेज या वाट्सअप मैसेज उसके परिवार वालों को किया था या नहीं किन्तु उसे नहीं किया था। सोनम के साथ जो मारपीट होती थी उसकी शिकायत सोनम या उन्होंने किसी थाने में नहीं की। इस प्रकार यद्यपि परिवादी बिहारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में सोनम के गाडी में बैठने के समय उसके पति यश जांगिड द्वारा यह कहना कि गाडी में बैठने का शौक है तो अपने बाप की लेकर आओ और यदि शॉपिंग करनी है तो पैसे अपने बाप से लाओ और जब उसकी बेटी यश से खर्चे के पैसे मांगती थी तो यश उसके साथ मारपीट करता था और खर्चे के पैसे नहीं देता था, आरोप लगाये है लेकिन दौराने जिरह सोनम द्वारा उक्त कथन उसे कब बताये गये इस संबंध में कोई विशिष्ठ दिनांक/माह अथवा वर्ष ध्यान होने से इन्कार किया है। इसक अलावा प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मृतका के जीजा पीड–2 संदीप जांगिड, पीड–8 भाई आकाश, पीड–10 बहिन पूनम, पीड–12 चाचा गजानन्द एवं 13 पवन तथा माता पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में इस सन्दर्भ में कोई कथन ही नहीं किये है। यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा मृतका सोनम को गाडी में बैठने पर इस प्रकार से प्रताडित किया जाता और शॉपिंग के लिये पैसे अपने पिता से लेकर आने की बात की जाती तो निश्चित रूप से उक्त बातें अन्य किसी को नहीं तो अपनी माता एवं बहिन को तो बताती लेकिन मृतका की माता, बहिन आदि किसी भी गवाह ने अपने सशपथ बयानों में इस प्रकार के

कथन नहीं किये हैं।

59. परिवादी बिहारीलाल ने अपने सशपथ बयानों में यह भी कथन किया है कि उसकी बेटी सोनम उसकी पत्नी से भी खर्चे के लिये पैसे लेकर आती थी लेकिन इस संबंध में गवाह पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में अपनी पुत्री मृतका सोनम को कोई खर्चे के लिये पैसे देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। मृतका की माता पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में गणगौर पर मृतका के आने पर अपने पति बिहारीलाल द्वारा उसे 30,000/–रूपये एवं वापिस आने पर उसे 20,000/–रूपये देकर भेजना बताया है लेकिन स्वयं परिवादी बिहारीलाल ने अपने सशपथ बयानों में मृतका सोनम को उक्त रूपये देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है अपितू दौराने जिरह अपनी बच्ची को कभी डायरेक्ट पैसे देने से इन्कार करते हुए केवल उससे मिलने के लिये आने पर 500–1000 रूपये देना बताया है जो कि परिवादी बिहारीलाल एवं उसकी पत्नी कमला जांगिड के बयानों में विरोधाभास को दर्शित करता है।

60. परिवादी बिहारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जून 2017 की बात है, वह उसकी पत्नी, संदीप और बेटी पूनम सोनम के घर आये और यश और उसके घरवालों से बात की कि वे लोग सोनम को क्यों परेशान कर रहे हैं तब उन लोगों द्वारा यह कहा गया कि सोनम का कहीं अफेयर चल रहा है और उसके फोन में फोटो है, फिर उस समय उनके परिवार के लोग इकट्ठे हो गये थे और फिर उन लोगों ने तसल्ली दी कि ऐसा नहीं होगा और परिवार की इज्जत का सवाल है और वह अपनी बेटी को छोडकर वापिस बोम्बे आ गये। दौरान जिरह गवाह ने कथन किया है कि सोनम के ससुराल वालों ने उन्हें यह बताया था कि उसके मोबाईल में उसके साथी के साथ फोटो और चैट मिली थी जिस शिकायत पर वे जयपुर आये थे। इस प्रकार परिवादी के मुख्य परीक्षण में आए कथनों से यह प्रकट होता है कि परिवादी अभियुक्त यश जांगिड एवं उसके परिवार के द्वारा मृतका को तंग–परेशान करने के कारण इस संबंध में बात करने के लिये मुम्बई से जयपुर जून–2017 में आया था जबकि दौराने जिरह किये गये कथनों से यह प्रकट होता है कि मृतका के ससुरालजन द्वारा परिवादी से मृतका सोनम का अफेयर चलने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मृतका का पिता

परिवादी बिहारीलाल अपनी पत्नी माता कमला जांगिड, दामाद संदीप जांगिड, एवं पुत्री पूनम जांगिड के साथ मुम्बई से जयपुर आया था। इस प्रकार परिवादी बिहारीलाल द्वारा जून–2017 में मुम्बई से मृतका के ससुराल जयपुर आने के कारण के संबंध में मुख्य परीक्षण एवं जिरह में किये गये कथनों में तात्विक एवं गम्भीर विरोधाभास है। इसके अलावा यहॉ यह कहना उचित होगा कि मृतका के पिता बिहारीलाल के मुख्य परीक्षण में आए कथनों से यह तथ्य तो प्रकट होता है कि मृतका के मोबाईल में कुछ फोटो और चैट्स थे और ससुराल पक्ष द्वारा इस संबंध में परिवादी को शिकायत की गई थी लेकिन ससुरालजन द्वारा इस प्रकार की शिकायत करने पर परिवादी द्वारा उस पर कोई आपत्ति की गई हो, ऐसा कोई कथन परिवादी का नहीं रहा है बल्कि मुख्य परीक्षण में आए कथनों से यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा इस संबंध में अपनी पुत्री को समझाया गया और वह वापिस मुम्बई आ गया था। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीड–20 आस मोहम्मद के दौराने जिरह आए कथनों से भी यह प्रकट होता है कि अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया था कि मृतका अपने फोन पर किसी दूसरे लडके से बातचीत करती थी लेकिन चूंकि मोबाईल सामने नहीं आया था इसलिए इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस प्रकार स्वयं परिवादी एवं अनुसंधान अधिकारी के बयानों के उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि मृतका जयपुर में रहने के दौरान हुण्डई कम्पनी में कार्यरत थी और वह किसी से फोन पर बात और चैट करती थी जिस बाबत् मृतका के ससुराल वालों द्वारा बात करने के लिये परिवादी को जयपुर बुलाया गया था और परिवादी द्वारा जयपुर आकर इस बाबत् सोनम को समझाईश भी की गई थी लेकिन उसके द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा लगाये गये उक्त आरोपों का कोई विरोध किया गया हो, ऐसा परिवादी के बयानों के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है लेकिन यदि मृतका के पति यश जांगिड या अन्य परिवारजन को किसी फोटो या चैट के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उनके द्वारा इस संबंध में सोनम से बात करना या उसे इस बाबत् समझाना स्वाभाविक है जिसे किसी प्रकार से प्रताडना या क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

61. जहॉ तक अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान का यह कथन कि मृतका के पति यश जांगिड एवं अन्य ससुरालजन द्वारा मृतका का

मोबाईल छीन लिया गया था इस संबंध में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीड–20 आस मोहम्मद ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि मृतका का फोन उसके ससुराल वालों ने लिया हो तो उसने जब्त नहीं किया था, उसने फोन बाबत् पूछा था लेकिन मृतका का फोन किसके पास है, यह बात उस समय पता नहीं चल पाई थी। इस प्रकार यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त यश जांगिड एवं अन्य ससुराल पक्ष पर मृतका का मोबाईल छीनने का आरोप लगाया गया है लेकिन प्रकरण में मोबाईल जब्त नहीं हुआ है और उक्त मोबाईल किसके पास है, यह तथ्य पता ही नहीं चल पाया है। वास्तव में मृतका का मोबाईल प्रकरण में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्ष्य था जिस मोबाईल को जब्त करने बाबत् अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा जहॉ तक प्रकरण के परिवादी बिहारीलाल सहित अन्य गवाहान का यह कथन कि यश जांगिड एवं अन्य ससुरालजन द्वारा मृतका की नौकरी छुडवा दी गई थी लेकिन स्वयं परिवादी बिहारीलाल के दौराने जिरह किये गये कथनों से यह जाहिर होता है कि उसकी पुत्री जयपुर में हुण्डई कम्पनी में कार्य करती थी और उसे एक वर्ष से अधिक उक्त कम्पनी में कार्य करते हो गया था और सर्विस को लेकर उसकी बेटी ने ससुरालवालों की कोई शिकायत नहीं की थी क्योंकि शादी से पहले ही यह बात हो गई थी कि सोनम शादी के बाद सर्विस करेगी और सोनम के सर्विस करने पर सोनम के ससुरालवालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इस प्रकार स्वयं परिवादी के कथनानुसार विवाह से पूर्व ही दोनों परिवारों के बीच यह तय हो गया था कि सोनम विवाह के पश्चात् भी सर्विस करेगी और इस बाबत् यश जांगिड या उसके परिवारजन को कोई आपत्ति भी नहीं थी और सोनम द्वारा विवाह के पश्चात् जयपुर स्थित हुण्डई कम्पनी में लगभग एक साल की अवधि तक सर्विस भी की गई थी और उक्त अवधि में कभी भी मृतका द्वारा सर्विस के संबंध में ससुरालवालों की कोई शिकायत परिवादी से नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में परिवादी पक्ष का यह आरोप कि ससुराल पक्ष द्वारा उसकी नौकरी छुडवा दी गई, विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने मृतका की नौकरी छुडवाने के संबंध में मृतका के ऑफिस से कोई अनुसंधान करने से इन्कार किया है। प्रकरण में वास्तव में अभियुक्त यश जांगिड द्वारा मृतका की नौकरी

छुडवाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं आई है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी का प्रकरण में मृतका का मोबाईल जब्त करने के संबंध में प्रभावशाली कार्यवाही ना करना और मृतका के कार्यस्थल पर जाकर उसके नौकरी में कार्यरत होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं करना अनुसंधान अधिकारी की अनुसंधान में बरती गई घोर लापरवाही को दर्शित करता है जो कि अभियोजन पक्ष के लिये घातक है।

62. प्रकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 है जिसे जरिये प्रदर्श पी–1 जब्त किया गया है। प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह साबित होता है कि मृतका द्वारा ससुराल के जिस कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कारित की गई थी उस कमरे से मृतका द्वारा लिखा गया एक सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 दिनांक 09.10.2017 को गवाह संजय कुमार एफ.सी. एवं श्रीमती सरिता महिला कॉन्स्टेबल के समक्ष जब्त करना बताया गया है। इस प्रकार जहॉ तक प्रकरण में सुसाईड नोट की जब्ती का प्रश्न है, उक्त जब्ती के गवाह पीड–1 सरिता एवं पीड–11 संजय कुमार ने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 09.10.2017 को मृतका द्वारा जिस कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कारित की गई थी, उस कमरे में बने मन्दिर के सामने एक सुसाईड नोट व एक पैन बरंग स्लेटि, सुसाईड नोट डायरी के पांच पेज पर लिखा होना जो आगे–पीछे लिखा होकर कुल नौ पेज में अंग्रेजी में लिखा होने का कथन किया है। इस प्रकार प्रकरण में सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 की जब्ती साबित होती है।

63. जहॉ तक उक्त सुसाईड नोट स्वयं मृतका द्वारा हस्तलिखित होने का संबंध है, इस संबंध में प्रकरण के परिवादी बिहारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सुसाईड नोट की राईटिंग उसकी बेटी की है साथ ही गवाह ने दौराने जिरह भी सुसाईड नोट की फोटोप्रति देखकर कहा कि यहीं वह सुसाईड नोट है जो कि उसकी बेटी की राईटिंग में है जो कि उसकी बच्चियों ने उसे बताया था। गवाह ने उक्त सुसाईड नोट के ए से बी भाग पर अपनी पुत्री सोनम के हस्ताक्षर होना और अपने बच्चों द्वारा उक्त सुसाईड नोट को पढना स्वीकार किया है। मृतका सोनम के भाई पीड–8 आकश जांगिड, बहिन पीड–10 पूनम जांगिड ने भी दौराने जिरह प्रदर्श डी–3 की लिखावट अपनी बहिन सोनम की होना स्वीकार किया है। गवाह पीड–13

मृतका के चाचा पवन कुमार ने भी दौराने जिरह इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सोनम सुसाईड नोट लिखकर गई थी। मृतका की बहिन पीड–16 रीना जांगिड ने मुख्य परीक्षण सोनम द्वारा लिखा गया सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मृतका सोनम के माता, पिता, बहिन, भाई, जीजा के बयानों के अवलोकन से जब्तशुदा सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 स्वयं मृतका द्वारा हस्तलिखित होने का तथ्य साबित होता है।

64. जहॉ तक अभियोजन पक्ष का यह तर्क कि उक्त सुसाईड नोट मृतका से जबरदस्ती लिखवाया गया था, इस संबंध में सर्वप्रथम परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में सोनम द्वारा अपनी माता श्रीमती कमला जांगिड को ससुराल वालों द्वारा जबरदस्ती सुसाईड नोट लिखवा लेना बताया है तथा न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में सोनम के ससुराल वालों द्वारा सोनम से सुसाईड नोट लिखवाना बताया है लेकिन प्रथम तो मृतका सोनम की माता पीड–17 कमला जांगिड ने अपने सशपथ बयानों में ससुराल वालों द्वारा सोनम से जबरदस्ती सुसाईड नोट लिखवाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, यदि वास्तव में मृतका अपनी माता को ससुराल वालों द्वारा सुसाईड नोट जबरदस्ती लिखवाना बताती है तो मृतका की माता अपने सशपथ बयानों में उक्त तथ्यों का उल्लेख अवश्य करती लेकिन उसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं करना परिवादी के कथनों को अविश्वसनीय एवं सन्देहास्प्रद बनाता है। इसके अलावा स्वयं परिवादी बिहारीलाल ने दौराने जिरह सोनम द्वारा स्वयं को सुसाईड नोट जबरदस्ती लिखवाये जाने के संबंध में बताये जाने से इन्कार किया है। इसके अलावा सोनम के ससुरालवालों द्वारा सोनम से जबरदस्ती सुसाईड नोट लिखवाये जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान पीड–2 जीजा संदीप जांगिड, भाई पीड–8 आकाश, बहिन पीड–10 पूनम, चाचा पीड–12 गजानन्द एवं पीड–13 पवन, माता पीड–17 कमला ने अपने बयानों में कोई कथन नहीं किये हैं। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीड–20 आस मोहम्मद ने भी उक्त सुसाईड नोट मृतका से जबरदस्ती लिखवाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य के समग्र विवेचन–विश्लेषण से परिवादी का यह कथन कि मृतका से उसके ससुराल वालों द्वारा सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 जबरदस्ती

लिखवाया गया था, माने जाने योग्य नहीं है बल्कि यह साबित होता है कि मृतका द्वारा स्वयं अपनी हस्तलिपि में उक्त सुसाईड नोट लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर भी किये गये थे।

65. जहॉ तक उक्त सुसाईड नोट में अंकित इबारत का संबंध है, उक्त सम्पूर्ण सुसाईड नोट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त सुसाईड नोट में कहीं भी मृतका द्वारा अभियुक्त यश जांगिड या उसके परिवारजन द्वारा उससे दहेज की मांग करने, दहेज में चार पहिया गाडी, नकद रूपये या देवर के लिये ब्रेसलेट की मांग करने और उक्त मांग की पूर्ति नहीं किये जाने पर उनके द्वारा स्वयं को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित करने, मारपीट करने के संबंध में एक शब्द भी अभिकथित नहीं किया है तथा स्वयं परिवादी बिहारीलाल ने दौराने जिरह इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सुसाईड नोट में कहीं भी यश जांगिड या उसके परिवार के द्वारा सोनम को परेशान करने की बात नहीं लिखी है। मृतका की बहिन पीड–10 पूनम जांगिड तथा पीड–16 रीना जांगिड ने भी दौराने जिरह इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सुसाईड नोट में उसकी बहिन ने ससुराल वालों पर परेशान करने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीड–20 आस मोहम्मद ने भी दौराने जिरह इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका ने अपने सुसाईड नोट में ससुराल पक्ष पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया था।

66. सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 एवं स्वयं परिवादी बिहारीलाल के दौराने जिरह आए कथनों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मृतका मुम्बई जैसे बडे शहर में जन्मी थी और वहीं उसकी पढाई लिखाई हुई थी, मृतका की अन्य बहिनों का विवाह मुम्बई में ही हुआ था तथा मृतका के माता–पिता द्वारा मृतका की अन्य बहिनों सहित मृतका को हर तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, मृतका पूर्व में मुम्बई में रहने के दौरान मर्सिडीज कम्पनी में कार्य करती थी, मृतका द्वारा अपने माता–पिता को जयपुर में शादी करने से इन्कार किया गया था और वह चाहती थी कि उसकी शादी मुम्बई में ही हो लेकिन उसके माता–पिता द्वारा लडका अच्छा होने से शादी कर लेने के लिये कहा गया था और मृतका द्वारा भी उनकी बात मानकर जयपुर में शादी के लिये हॉ कर दी गई थी। विवाह के पश्चात् मृतका जयपुर में हुण्डई कम्पनी में कार्य करने

लगी लेकिन चूंकि मृतका एक खुले विचारों की लडकी थी उसे अपने पति या अन्य ससुरालजन का उसकी पसन्द के कपडे पहनने या कहीं आने–जाने के संबंध में रोकटोक करना पसन्द नहीं था, सोनम को जयपुर में रहने में तकलीफ हो रही थी और वह जयपुर आना ही नहीं चाहती थी। मृतका के भाई पीड–8 आकाश ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी बहिन जयपुर में शादी होने से खुश नहीं थी और इस कारण वह अपने मम्मी–पापा से नाराज थी, सुसाईड नोट के अवलोकन से भी मृतका द्वारा उसकी शादी जयपुर में कर दिये जाने से नाराज होने का तथ्य प्रकट होता है, सुसाईड नोट के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि मृतका को चूंकि मुम्बई में रहने के दौरान उसके माता–पिता द्वारा पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी लेकिन जयपुर में ससुराल में रहने के दौरान उसे वह स्वतंत्रता नहीं मिली, सुसाईड नोट में मृतका ने स्पष्ट रूप से इस बात का अंकन किया है कि यश जांगिड या अन्य ससुरालजन द्वारा कभी उसके साथ मारपीट नहीं की गई ना ही उसे कभी डांटा लेकिन उसे ससुराल का घर एक जेल जैसा लगता था। इस प्रकार सुसाईड नोट में अंकित तथ्यों एवं परिवादी पक्ष के जिरह में आए कथनों से यह साबित होता है कि मृतका मुम्बई जैसे बडे शहर से होने के कारण और बचपन से ही पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के कारण विवाह के पश्चात् जयपुर जैसे छोटे शहर में अपने ससुराल पक्ष के साथ एडजेस्ट नहीं कर पा रही थी जिस कारण वह अत्यधिक तनाव में आ गई थी और इस स्तर पर मृतका के सुसाईड नोट प्रदर्श डी–3 के महत्वपूर्ण भाग यहॉ अंकित करना यह न्यायालय समीचीन पाता है। मृतका ने अपने सुसाईड नोट में यह अंकित किया है किः–

" I was been brought up as a strong, Independent, in free envourment. My parents were never baised between all the 4 sister and my brother. My mother always wanted her daughters to be strong and Independent so that we can face any situation in life. The Environment in my house was always friendly and we all were very open minded so I have lived 24 years of my life in lots and lots of happiness mumma-papa never allowed any worry to come near us.

Bat now, since past two years as I have got married everything has got changed. I very well know that a girl has to adjust and compromise a lot of things in a marriage and change in only expected from a girl.

I am born and bronght up in mumbai and got married in jaipur so the cultural difference is very huge and my husband and In-Laws are of very old thought process.

Initially I thought that slowly and with time I would adjust and life will be very normal. But in two Years I have realised that I was wrong.

Me and yash we both are not happy with each other and I have feiled to adjust here and everyone in the family in very well aware of this fact. The understanding leval between me, my inLaws and yash is 0%. Each and everyday there is a new Issue or new argument. The main problem is the thought process does not match."

इससे यह दर्शित होता है कि मृतका एक स्वतंत्र माहौल में पढी–बडी लडकी थी जिसका माता–पिता के अत्यन्त लाड–प्यार में पालन–पोषण हुआ था लेकिन वह मुम्बई व जयपुर के सामाजिक, सांस्कृतिक माहौल में रहे बडे अन्तर के साथ स्वयं का तारतम्य नहीं बैठा पा रही थी साथ ही यह भी दर्शित होता है कि मृतका व अभियुक्त के मध्य पति–पत्नी के रूप में वैचारिक सन्तुलन भी नहीं बन पाया था।

इसी तरह मृतका ने अपने सुसाईड नोट में यह भी अंकित किया है कि उसकी शादी एक बुरी शादी नहीं थी बल्कि एक गलत शादी थी जो कि उसके अनुसार पूरी तरह बेमेल शादी थी एवं मुम्बई के स्वतंत्र माहौल के विपरीत मृतका अपने ससुराल के पारम्परिक माहौल के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। मृतका ने अपने सुसाईड नोट में यहॉ तक अंकित किया है कि उसने इस शादी से अलग होने का सोचा था लेकिन कोई भी इस पर सहमत नहीं हुआ। उसने यह भी अंकित किया है कि उसकी बहिनों ने शुरू में उसका साथ दिया लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये गलत है। आगे मृतका ने अपने माता–पिता को सम्बोधित करते हुए यह भी अंकित किया है कि यश, किसी ने मुझे मारा नहीं है और ना ही किसी ने डांटा है।

अंत में पुलिस व डॉक्टर को सम्बोधित करते हुए यह भी अंकित किया है कि कृपया मेरी आत्महत्या को दुर्घटना में हुई मृत्यु घोषित कर दे क्योंकि दोनों परिवार बहुत खानदानी लोग है मैं नहीं चाहती कि सोसायटी में उन पर कोई अंगूली उठाये। उसने यह भी अंकित किया है कि मुझे मेरी आत्महत्या के बाद के प्रभावों की जानकारी है सो मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार मेरे

ससुरालवालों को तंग नहीं करे।

इस प्रकार उक्त सुसाईड नोट के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मृतका के साथ उसके ससुरालजन द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग कभी नहीं की गई थी। यह भी दर्शित होता है कि मृतका ससुरालवालों द्वारा किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक क्रूरता या प्रताडना का शिकार नहीं रही थी ना ही उसे ऐसी किसी दहेज की मांग आदि को लेकर तंग–परेशान किया जाता रहा था। वास्तव में मृतका की शादी से पूर्व की जीवन शैली, पारिवारिक व सामाजिक माहौल तथा विवाह के पश्चात् ससुराल में मिले माहौल में एक बडा अन्तर था जिसके साथ मृतका सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। भारतीय संस्कृति में एक लडकी के जीवन में विवाह के साथ आमूलचूल परिवर्तन आता है एवं भारतीय संस्कृति में एक लडकी को जो स्वतंत्रता एवं जीवन का खुलापन उसके माता–पिता के घर में उपलब्ध रहा होता है निसन्देह वैसा का वैसा माहौल ससुराल में मिल पाना आवश्यक नहीं होता है एवं हमारे सामाजिक परिवेश में निसन्देह ससुराल में कुछ मर्यादाएं एवं कुछ सीमाएं दिन–प्रतिदिन के जीवन में स्वयंमेव ही प्रतिस्थापित हो जाती है एवं बहु को उस दायरे में स्वयं को समय के साथ ढालना होता है एवं सामान्य जीवन के इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाना किसी भी दृष्टि में क्रूरता कारित किया जाना नहीं माना जा सकता।

67. पत्रावली में परीक्षित हुए गवाहान की साक्ष्य के अनुसार दोनों परिवार पूर्व से एक–दूसरे से परिचित रहे है ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि दोनों परिवार एक–दूसरे की विचारधारा, जीवन स्तर आदि से परिचित नहीं रहे हो। ऐसे में विवाह के समय माता–पिता का भी यह दायित्व रहता है कि वे यह सुनिश्चित करे कि जिस माहौल में उनके द्वारा अपनी पुत्री का लालन–पालन किया गया है क्या वह पुत्री विवाह के पश्चात् ससुराल के माहौल के साथ स्वयं का सामंजस्य बैठा पायेगी। स्वयं मृतका ने अपने सुसाईड नोट में अपने माता–पिता से यह प्रश्न किया है कि जब बचपन से उसे स्वतंत्रता का माहौल प्रदान किया गया था फिर ऐसे परम्परावादी परिवार में उसका विवाह क्यों किया गया।

68. निष्कर्ष रूप से देखे तो प्रस्तुत प्रकरण में दहेज अथवा दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक प्रताडना का तथ्य

अभियोजन साक्ष्य से दृष्टिगोचर नहीं होता है बल्कि दर्शित होता है कि ससुराल की परम्पराओं व माहौल के साथ अपना तारतम्य नहीं बैठा पाने के कारण परेशान होकर मृतका द्वारा आत्महत्या कारित की गई एवं मृतका के इस कृत्य के लिए अन्य किसी कारण की अनुपस्थिति के अभाव में उसके पति (अभियुक्त) को आपराधिक रूप से दायित्व के अधीन नहीं किया जा सकता है।

69. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मृतका के पीहर पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहान के कथनों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका से शादी के पश्चात् से मृतका की मृत्यु से पूर्व तक मृतका या उसके पीहर पक्ष से दहेज की मांग की गई हो और उसकी पूर्ति ना करने पर मृतका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया गया हो, अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्त यश जांगिड द्वारा मृतका की नौकरी छुडवा दी गई हो या उसका मोबाईल लेकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। इस प्रकार मृतका के विवाह से उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व तक मृतका के पति, पति के नातेदारों द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में प्रपीडित किये जाने के संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं आई है।

70. प्रकरण में अभियोजन पक्ष पर प्रारम्भिक भार धारा 304बी भा.द.सं. के तहत अपराध के गठन के लिये आवश्यक तत्वों के अस्तित्व को साबित करने का था। एक बार जब न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के कथनों से धारा 304बी भा.द.सं. के आवश्यक तत्व के अस्तित्व साबित कर दिये जाते हैं तभी धारा 113 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आज्ञापक उपबन्ध के प्रावधान अभियुक्त के खिलाफ लागू होते हैं लेकिन चूंकि अभियोजन पक्ष धार 304बी भा.द.सं. के प्रथम दो आवश्यक तत्वों को उपरोक्त विवेचन से अपने पैरों पर खडे होकर साबित करने में सफल रहा है लेकिन तीसरे एवं महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व को साबित करने में असफल रहा है, अतः धारा 113 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा माने जाने का कोई आधार नहीं है।

71. जहॉ तक धारा 306 भा.द.सं. के अपराध का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से परीक्षित हुए उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से पूर्वोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि मृतका को अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग की

पूर्ति ना करने के कारण प्रताडित कर पीडिता को दुर्व्यवहार के अधीन रखा जाता हो। गवाहान के कथनों से भी अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि मृतका के साथ अभियुक्त के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो या मृतका से किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की गई हो और उसकी आपूर्ति ना होने पर मृतका के साथ मारपीट कर अत्याचार कारित किया हो, अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा मृतका की नौकरी छुडवा दी गई हो और उसके द्वारा मृतका का मोबाईल छीनकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

72. धारा 306 भा.द.सं. के तहत निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता हैः—

1. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Velladurai Vs. State, Criminal Appeal No. 953/21, S.C. Date 14-09-2021** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः—

"Abetment by a person is when a person insigates another to do something. Instigation can be inferred where the accused had, by his acts or omission created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide."

2- **न्यायिक दृष्टांत Amalendu Pal alias Jhantu Vs. State of West Bengal (2010) 1 SCC 707** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः—

"Thus, this Court has consistently taken the view that before holding an accused guilty of an offence under Section 306 IPC, the Court must scrupulously examine the facts and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether the cruelty and harassment meted out to the victim had left the victim with no other alternative but to put an end to her life. it is also to be borne in mind that in cases of alleged abetment of suicide there must be proof of direct or indirect acts of incitemnet to the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of section 306 IPC is not sustainable.

3- In the case **Mangat Ram Vs. State of Haryana, (2014) 12 SCC 595** which again was a case of wife, s unnatural death, speaking for the division

Bench, Justice K.S.P. RadhaKrishnanan Rightly observed as under.

"We find it difficult to comprehend the reasoning of the high Court that "No Prudentman is to commit suicide unless abetted to do so." A woman may attempt to commit suicide due to various reason, such as, depresion, financial difficulties, disappointment in love, tired of domestic worries, acute or chronic ailments and so on and need not be due to abetment. The reasoning of the High Court that no prudent man will commit suicide unless abetted to do so by someone else, is a perverse reasoning."

4- न्यायिक दृष्टांत **S.S. Chheena Vs. Vijay Kumar Mahajan & Anr. (2010) 12 SCC Page No. 190** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः—

"Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide] conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by the Court is clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों मे जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं उसके अनुसार धारा 306 भा.द.सं. के तहत् अपराध कारित होने के लिए अभियुक्त के द्वारा पीडिता को आत्महत्या के अपराध को सुगम बनाने हेतु कोई कार्य या दुष्प्रेरण के कृत्य में सक्रिय भूमिका अदा की जानी चाहिए। अभियुक्त के द्वारा कोई सकारात्मक कार्य किये बिना या योगदान दिये बिना धारा 306 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध कारित हुआ हो, यह नहीं माना जा सकता। उक्त धारा के तहत अपराध साबित किये जाने हेतु स्पष्ट मानवीय आशय का साबित होना आवश्यक है। साथ ही अभियुक्त के द्वारा मृतका को इस सीमा तक दुष्प्रेरित या उकसाया गया, जिससे कि मृतका के पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हो।

73. उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में हालांकि मृतका की मृत्यु हुई है लेकिन पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार मृतका ने स्वयं अपने जीवन को समाप्त

कर आत्महत्या की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा मृतका की आत्महत्या करने में किसी प्रकार की सक्रिय भूमिका रही हो या अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या करने के लिये बाध्य किया हो या अभियुक्त की किसी प्रकार की कोई गलत मंशा रही हो। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका से दहेज में गाडी या नकद पैसे, देवर के लिये ब्रेसलेट आदि किसी सामान की मांग कर मृतका को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया गया हो। पत्रावली पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य भी प्रकट नहीं हुआ है जो यह दर्शित करता हो कि अभियुक्त का आचरण इस प्रकृति का रहा हो जो कि मृतका की आत्महत्या को उत्प्रेरित करने हेतु एक मात्र कारण रहा हो। अभियोजन साक्ष्य के उपर किये गये विवेचन से यह दृष्टिगत होता है कि मृतका की आत्महत्या के पीछे मूल कारण अपने ससुराल के माहौल एवं परम्पराओं के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहना रहा है एवं प्रत्येक लडकी को विवाह के पश्चात् एक नये जीवन, नये परिवार एवं उस परिवार में रहने, प्रचलित परम्पराओं के साथ समन्वय बैठना होता है इसमें असफल रहने की स्थिति में उस लडकी के पास सदैव यह विकल्प मौजूद रहता है कि वह यदि उस वैवाहिक जीवन से सन्तुष्ट नहीं है तो वह विवाह को समाप्त कर अपना नया जीवन शुरू कर सकती है। वैवाहिक जीवन के इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाना अथवा मृतका व ससुरालजन के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद होना आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर अभियुक्त के कृत्य एवं मृतका की आत्महत्या के संबंध में कोई जीवित कडी नहीं है। मृतका द्वारा की गई आत्महत्या में अभियुक्त का कोई हाथ रहा हो, इस संबंध में पत्रावली पर जीवित कडी का अभाव है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिये उकसाया हो, प्रेरित किया हो, दुष्प्रेरित किया हो या बाध्य किया हो। इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने, बाध्य करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं आई है।

74. **जहॉ तक धारा 498ए भा.द.सं. के अपराध के आरोप का प्रश्न है,** इस संबंध में धारा 498ए भा.द.सं. के अपराध की परिभाषा का विवेचन किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसारः—

''अभियुक्त के द्वारा पीडिता के साथ शादी होने के पश्चात् से एवं मृत्यु होने से पूर्व तक दहेज की मांग करने या फिर इस प्रकार का कोई कृत्य करने, जिससे पीडिता आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या उसे किसी प्रकार के जीवन, अंग या स्वास्थ्य का गम्भीर खतरा कारित होने की सम्भावना हो या उस स्त्री या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित करने या उस स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है''

धारा 498ए के तहत अपराध के संबंध में सुस्थापित विधि को देखे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहकशा कौशर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य, आपराधिक अपील संख्याः 195/2022 निर्णय दिनांक 08.02.2022 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ठ कृत्य का आरोप नहीं हो एवं बिना विशिष्ठियों के सभी पर मात्र सामान्य प्रकृति के आरोप लगाये गये हो। ऐसे मामले में अभियुक्त का विचारण विधिसम्मत नहीं है। इसी तरह इंदर राज बनाम सुनीता 1986 सीआरएलजे 1510 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य घरेलू कलह को धारा 498ए भा.द.सं. के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में देखा जाये तो धारा 304बी भा.द.सं. के तृतीय अव्यव के तहत अभियोजन साक्ष्य का जो विवेचन किया गया है उससे यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित कर पाने में विफल रहा है कि मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित की जाती रही हो या उसे तंग–परेशान किया जाता रहा हो। अभियोजन गवाहान द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परस्पर विरोधाभासी एवं बिना किसी विशिष्ठियों के सामान्य आक्षेप लगाये गये है जो कि अभियुक्त के विरूद्ध क्रूरता का तथ्य साबित कर पाने हेतु विधितः पर्याप्त नहीं माना जा सकते। अभियोजन अपनी साक्ष्य से धारा 498ए भा.द.सं. के तहत परिभाषित क्रूरता के अपराध के आवश्यक तत्वों को सन्देह से परे प्रमाणित कर पाने में विफल रहा है।

निष्कर्षः–

75. उपरोक्त समस्त विवेचन–विश्लेषण फलस्वरूप अभियोजन पक्ष परीक्षित गवाहान के कथनों से सन्देह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि

(क) अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका सोनम से विवाह होने के उपरान्त किसी समय मृतका का पति होते हुए उसके साथ ओर अधिक दहेज की मांग के लिये क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की।

(ख) अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका ममता से विवाह होने के उपरान्त किसी समय मृतका का पति होते हुए उसके साथ ओर अधिक दहेज की मांग के लिये क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की जिसके कारण मृतका की विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न फांसी के फंदे पर लटकने से दहेज मृत्यु कारित हुई

विकल्प में

(ग) अभियुक्त यश जांगिड ने मृतका को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित किया, जिसकी परिणति में मृतका द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कारित की गई।

76. फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 498ए, 304बी विकल्प में धारा 306 भा.द. सं. के अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

77. फलस्वरूप अभियुक्त यश जांगिड पुत्र श्री राधाकिशन जांगिड, निवासी—मकान नं. 21, पटेल विहार, नाडी का फाटक, सरकारी स्कूल के पास, थाना मुरलीपुरा, जयपुर को धारा 498ए, 304बी विकल्प में धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत—मुचलके पर आजाद है, उसके न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत अन्वीक्षाकालीन जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए 25,000/—रूपये के प्रतिभू सहित समान राशि के जमानत बन्धपत्र निर्णय के पूर्व पेश किए गये, जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली है। प्रकरण में जब्तशुदा एक साडी बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नष्ट की जावे। प्रकरण में जरिये प्रदर्श पी—14 जब्तशुदा स्त्रीधन बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन,

अपील/रिवीजन नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार उसके स्वामी को लौटाये जाने के संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

78. राज्य–सरकार के द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क, ख, ग जोडी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति/परिवादी पक्ष को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष ने अखण्डनीय साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध नहीं करवाई है। चूंकि परिवादी पक्ष की साक्ष्य खण्डनीय होने से आरोपित अपराध साबित होना नहीं पाया गया है। अतः धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् परिवादी को किसी प्रकार का प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से परिवादी को प्रतिकर दिलाया जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(आशुतोष कुमावत)

79. निर्णय आज दिनॉक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(आशुतोष कुमावत)